



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



26 आश्विन, 1945 (श०)

संख्या - 34 राँची, बुधवार

18 अक्टूबर, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 323-406
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेशों के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए.,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.एस.सी., लॉ भाग और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप्लोमा-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.ओर की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

प्रक-

...

...

प्रक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

संख्या-14/विविध-05/2023-3810--विभागीय संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को चिन्हित करने हेतु आयोग का गठन तथा चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों को सम्मान पेंशन एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने हेतु नीति निरूपण किया गया है ।

2. उक्त संकल्प के आलोक में आंदोलनकारियों/आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग द्वारा उक्त संकल्प के अनुरूप विभिन्न श्रेणी के आंदोलनकारियों/आश्रितों को जिलावार चिन्हित कर राज्य सरकार को **इक्कीसवीं संपुष्ट सूची पत्रांक-194, दिनांक 02.05.2023** द्वारा समर्पित किया गया ।

3. आयोग के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आवेदक/आवेदिका को आंदोलनकारी/आश्रितों के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी ।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित/चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी/आश्रित की पहचान करते हुए उन्हें उक्त संकल्प के अनुसार देय सुविधायें तथा बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन अगले माह के प्रथम सप्ताह तक दिया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी/आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके ।

6. यह दिनांक-20.04.2021 से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रविशंकर विद्यार्थी,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

21 वीं सम्पुष्ट सूची द्वारा चिन्हित आंदोलनकारियों की जिलावार विवरणी:-

क्र०सं०	जिला का नाम	कंडिका-02 (viii) (a)	कंडिका-02 (viii) (b)	कंडिका-02 (viii) (c)	कंडिका-02 (ix)	योग
1	बोकारो	11	-	-	01	12
2	देवघर	02	-	-	-	02
3	धनबाद	08	-	-	05	13
4	पूर्वी सिंहभूम	16	-	-	03	19
5	गिरिडीह	05	-	-	06	11
6	गोड्डा	03	-	-	08	11
7	गुमला	04	-	-	01	05
8	हजारीबाग	04	-	01	01	06
9	कोडरमा	01	-	-	04	05
10	लातेहार	03	-	-	-	03
11	लोहरदगा	02	-	-	06	08
12	रामगढ़	21	-	-	06	27
13	राँची	03	-	-	00	03
14	सरायकेला- खरसावां	02	-	-	00	02
15	प० सिंहभूम	09	-	-	02	11
	कुल	94	00	01	43	138

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या-14/विविध-05/2023- 3810, -- गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

जिला:- बोकारो

क्र०	आंदोलनकारी की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-मुरली गंझू पिता-वालो गंझू ग्राम-सोनाडीह, पोस्ट-चलकरी, थाना-पेटरवार, प्रखण्ड-पेटरवार, लिंगपुर	पेटरवार थाना काण्ड सं०-118/93 जी०आर० संख्या- 902/93	नहीं	कारण:-दिनांक 23.09.1993 को आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा नहर का तटबंध काटने का आरोप। धारा-427, 430, 431 भा०द०वि० जेल की अवधि-01 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
2	आवेदक-जदु गंझू पिता-स्व० छकन गंझू ग्राम-सोनाडीह, पोस्ट-चलकरी, थाना-पेटरवार, प्रखण्ड-पेटरवार, लिंगपुर	पेटरवार थाना काण्ड सं०-118/93 जी०आर० संख्या- 902/93	नहीं	कारण:-दिनांक 23.09.1993 को आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा नहर का तटबंध काटने का आरोप। धारा-427, 430, 431 भा०द०वि०	कंडिका 2(viii) (a)

				जेल की अवधि-01 दिन।	
3	आवेदक-गिरधारी गंझू , पिता-जुठन गंझू, ग्राम-सोनाडीह, पोस्ट-चलकरी, थाना-पेटरवार, प्रखण्ड-पेटरवार, लिंगपुर	पेटरवार थाना काण्ड सं0-118/93 जी0आर0 संख्या- 902/93	नही	कारण:-दिनांक 23.09.1993 को आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा नहर का तटबंध काटने का आरोप। धारा-427, 430, 431 भा0द0वि0 जेल की अवधि-01 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
4	आवेदक-जगनी देवी, (आश्रित पत्नी) पति-स्व0 बालो गंझू (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-सोनाडीह, पोस्ट-चलकरी, थाना-पेटरवार, प्रखण्ड-पेटरवार, लिंगमहिला	पेटरवार थाना काण्ड सं0-118/93 जी0आर0 संख्या- 902/93	नही	कारण:-दिनांक 23.09.1993 को आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा नहर का तटबंध काटने का आरोप। धारा-427, 430, 431 भा0द0वि0 जेल की अवधि-01 दिन।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
5	आवेदक-राजेन्द्र नारायण सिंह पिता-प्रताप नारायण सिंह, ग्राम-बिरनी टोला, मझलीटांड, पोस्ट-बिरनी, थाना-नावाडीह, प्रखण्ड-नावाडीह, लिंगपुर	अनु0 दण्डा0 बेरमो (तेनुघाट) वाद संख्या	नही	कारण-दिनांक-26.09.1989 झारखण्ड बंद की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 113 (पपप)द0प्र0स0 जेल अवधि-04 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
6	आवेदक-क्षत्रधारी महतो, पिता- स्व0 रामलाल महतो,	अनु0 दण्डा0 बेरमो	नही	कारण-दिनांक-26.09.1989 झारखण्ड बंद की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का	कंडिका 2(viii) (a)

	ग्राम-बंदियों, पोस्ट-बिरनी, थाना-चन्द्रपुरा, प्रखण्ड-चन्द्रपुरा लिंगपुर	(तेनुघाट) वाद संख्या		आरोप। धारा-107, 113 (पपप)द0प्र0स0 जेल अवधि-04 दिन।	
7	आवेदक-पुरन महतो उर्फ पुरन चन्द महतो, पिता- सितु महतो, उर्फ सिताराम महतो, ग्राम-बिरनी टोला, मझलीटांड, पोस्ट-बिरनी, थाना-नावाडीह, प्रखण्ड-नावाडीह, लिंगपुर	अनु0 दण्डा0 बेरमो (तेनुघाट) वाद संख्या	नही	कारण-दिनांक-26.09.1989 झारखण्ड बंद की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 113 (पपप)द0प्र0स0 जेल अवधि-04 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
8	आवेदक-फुलचन्द्र मांझी, पिता-विशुन मांझी, ग्राम-मायापुर, पोस्ट-रोहर, थाना-पेटरवार, प्रखण्ड-पेटरवार, लिंगपुर	अनु0 दण्डा0 बेरमो (तेनुघाट) वाद संख्या- 121/93	नही	कारण-दिनांक-15.03.1993 को झारखण्ड बंद एवं 16.03.1993 से अनिश्चित कालीन आर्थिक नाके बंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 116 (पपप)द0प्र0स0 जेल अवधि-23 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
9	आवेदक-बीरबल मांझी, पिता-स्व0 गाजो मांझी, ग्राम-ललपनिया, पोस्ट-ललपनिया, थाना-ललपनिया, प्रखण्ड-गोमिया, लिंगपुर	महुआटांड थाना काण्ड संख्या- 42/93 जी0आर0 सं0-581/93	नही	कारण:- दिनांक- 23.06.1993 को हरवे हथियार से लैस होकर मुख्य मार्ग अवरुद्ध करना एवं लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध नारा लगाने का आरोप। धारा-147, 148, 149	कंडिका 2(viii) (a)

				भा0द0वि0।	
				जेल अवधि-18 दिन।	
10	आवेदक:-मीनू रेखा लाल (आश्रित पत्नी), पति:-स्व0 राजेश कुमार टुड उर्फ राजेशटुडू, (आंदोलनकारी) ग्राम:-सुरही, पोस्ट:-सुरही, थाना:-नावाडीह, प्रखण्ड:-नावाडीह, लिंग-महिला	बेरमो (मु0) तेनुघाट अनु0 वाद सं0 117/93	नही	कारण:-दिनांक 16.03.1993 से अनिश्चित कालीन आर्थिक नाके बन्दी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107 द0प्र0स0 जेल की अवधि:-16 दिन।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी),
11	आवेदक-राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, पिता-स्व0 चमारी प्रसाद अग्रवाल उर्फ चमारी साव, ग्राम-गोविन्दपुर, पोस्ट-बोकारो थर्मल, थाना-बोकारो थर्मल, प्रखण्ड-बेरमो, लिंग-पुरुष	अनु0 दण्डा0 तेनुघाटवाद सं0-513/92	नही	कारण:- दिनांक- 30.08.1992 को झारखण्ड बन्दी के दिन विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107 द0प्र0स0 जेल अवधि-03 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
12	आवेदक-अबुल कलाम अंसारी, पिता-स्व0 सोबराती अंसारी, ग्राम-पुपुनकी, पोस्ट-पुपुनकी, थाना-चास (मु0), प्रखण्ड-चास, लिंग-पुरुष	चास थाना अप्राथ0 संख्या- 03/93 अनु0 दण्डा0 चास एम0पी0 केस संख्या- 106/93	नही	कारण:- दिनांक- 15.03.1993 को झारखण्ड बंद एवं दि0-16.03.1993 से आर्थिक नाके बन्दी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107 द0प्र0स0।	कंडिका 2(viii) (a)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या-14/विविध-05/2023-3810--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

जिला:- देवघर

क्र०	आंदोलनकारी की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या-1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक का नाम-मो० नौशाद, पिता का नाम- स्व० अजहर हुसैन, ग्राम-पाटजोर, पोस्ट-मोहनपुर, थाना- मोहनपुर, प्रखण्ड- मोहनपुर, लिंग-पुरुष	देवघर थाना कांड सं०- 216/82	नहीं	कारण :-दिनांक-10.09.1982 को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-144/182 भा०द०वि० जेल की अवधि-02 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
2	आवेदक का नाम-दुखी प्रसाद मंडल, पिता का नाम- स्व० कार्तिक मंडल, ग्राम-कुल्हडिया पोस्ट-खड़गडीहा, थाना- मोहनपुर, प्रखण्ड- मोहनपुर, लिंग-पुरुष	देवघर थाना कांड सं०- 216/82	नहीं	कारण :-दिनांक-10.09.1982 को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-144/182 भा०द०वि० जेल की अवधि-02 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या-14/विविध-05/2023-3810--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

जिला:- धनबाद

क्र०	आंदोलनकारी की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या-1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-कपिलेश्वर मुखर्जी उर्फ रमवेसरथ मुखर्जी, पिता-स्व० भाष्कर उर्फ पत्रन मुखर्जी, ग्राम-सुदामडीह, पोस्ट-सुदामडीह, थाना-सुदामडीह, प्रखण्ड-झरिया, लिंग-पुरुष	धनबाद थाना काण्ड संख्या 265/83	नहीं	कारण:-दिनांक 12.05.1983 को अलग राज्य की मांग को लेकर जेल भरो अभियान चलाना एवं धारा-144 का उल्लंघन करने का आरोप। धारा-143, 188, 341 भा०द०वि० जेल की अवधि-06 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)

2	आवेदक-सहदेव महतो, पिता-स्व० अभिराम महतो, ग्राम-बाघमारा, पोस्ट-बाघमारा, थाना-बलियापुर, प्रखण्ड-बलियापुर, लिंग-पुरुष	धनबाद थाना काण्ड सं० 51/83	नहीं	कारण:-दिनांक 12.05.1983 को झारखंड आंदोलन के क्रम में जेल भरो अभियान एवं निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना। धारा-143/188/448 भा०द०वि० जेल की अवधि- 06 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
3	आवेदक-सागर मंडल, पिता-स्व० अतुल मंडल, ग्राम-सिमाटांड, ए०सी०सी० कॉलोनी, पोस्ट-ए०सी०सी० कॉलोनी, थाना-बलियापुर, प्रखण्ड-बलियापुर, लिंग-पुरुष	धनबाद थाना काण्ड सं० 51/83	नहीं	कारण:-दिनांक 12.05.1983 को झारखंड आंदोलन के क्रम में जेल भरो अभियान एवं निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना। धारा-143/188/448 भा०द०वि० जेल की अवधि- 06 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
4	आवेदक-वासुदेव महतो, पिता-नेमा महतो, ग्राम-धोबनी, पोस्ट-लालपुर, थाना-पुटकी, प्रखण्ड-धनबाद, लिंग-पुरुष	पुटकी थाना काण्ड सं० 105/92 जी० आर० 3541/92 टी० आर० 10ए/2011	नहीं	कारण:-दिनांक-15.09.1992 को झारखण्ड बंद के दौरान रंगदारी टैक्स मांगने का आरोप। धारा-143/341 भा०द०वि०। जेल की अवधि:-06 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
5	आवेदक-गोरा चन्द्र महतो, पिता-तुलसी राम महतो, ग्राम-लालपुरा, सहरनपुर,	पुटकी थाना काण्ड सं० 105/92	नहीं	कारण:-दिनांक-15.09.1992 को झारखण्ड बंद के दौरान रंगदारी टैक्स मांगने का आरोप।	कंडिका 2(viii) (a)

	पोस्ट-लालपुर, थाना-पुटकी, प्रखण्ड-धनबाद, लिंग-पुरुष	जी० आर० 3541/92 टी० आर० 10ए/2011		धारा-143/341 भा०द०वि०। जेल की अवधि:-06 दिन	
6	आवेदक-साधु शरण प्रसाद, पिता-स्व० धनेश्वर प्रसाद, ग्राम-विश्वकर्मा कॉलोनी, नूतनडीह, पोस्ट-जगजीवन नगर, थाना-सरायदेला, प्रखण्ड-धनबाद, लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० धनबाद एम०पी० वाद संख्या 1738/93	नहीं	कारण:-दिनांक-13.09.1993को झारखण्ड बंद के दौरान विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 113 116 द०प्र०स०। जेल की अवधि:-05 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
7	आवेदक-कपिल प्रसाद गोयल, पिता-स्व० रामदास साव, ग्राम-राजगंज, पोस्ट-राजगंज, थाना-राजगंज, प्रखण्ड-बाघमारा, लिंग-पुरुष	राजगंज थाना अप्राथ०सं० 29/93 अनु० दण्डा० धनबाद एम०पी० वाद संख्या 1745/93	नहीं	कारण:- 15/16.09.1993 को झामुमो (सोरेन गुट) द्वारा झारखण्ड बंद एवं आर्थिक नाके बंदी के दौरान शांतिभंग करने का आरोप। धारा-107/113/116 द०प्र०सं० जेल की अवधि-01 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
8	आवेदक-मनोज कुमार महतो (आश्रित पुत्र), पिता-स्व० मुकेश महतो (मूल आन्दोलनकारी),	बलियापुर थाना काण्ड सं० 79/91	पृ० सं०- 84 क्र०-10 (1)	कारण:-दिनांक 11.06.1991 को नजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैस होकर वाहनों को रोक कर सड़क अवरूद्ध करने का आरोप।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पुत्र),

	ग्राम-रखितपुर, पोस्ट-बलियापुर, थाना-बलियापुर, प्रखण्ड-बलियापुर, लिंग-पुरुष	जी0आर 1680/91		धारा-143, 144, 341 भा0द0वि0 जेल की अवधि-10दिन	
9	आवेदक-आरती मंडल (आश्रित पत्नी), पति-स्व0 कालीपद मंडल (मूल आन्दोलनकारी), ग्राम-भेलाटांड, पोस्ट-जगलपुर, थाना-गोविन्दपुर, प्रखण्ड-गोविन्दपुर, लिंग-महिला	गोविन्दपुर थाना काण्ड सं0 364/92 जी0आर0 4983/92	पृष्ठ-86 क्र0- 13(21)	कारण:-दिनांक 22.12.1992 को निषेधाज्ञा का उल्लंघन एवं प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने का प्रयास। धारा-188 भा0द0वि0	कंडिका 2(ix) (आश्रित पत्नी),
10	आवेदक-दुर्योधन मंडल, पिता-स्व0 मंगल मंडल, ग्राम-भेलाटांड, पोस्ट-जगलपुर, थाना-गोविन्दपुर, प्रखण्ड-गोविन्दपुर, लिंग-पुरुष	गोविन्दपुर थाना काण्ड सं0 364/92 जी0आर0 4983/92	पृष्ठ-86 क्र0- 13(21)	कारण:-दिनांक 22.12.1992 को निषेधाज्ञा का उल्लंघन एवं प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने का प्रयास। धारा-188 भा0द0वि0	कंडिका 2(ix)
11	आवेदक-हराधन मंडल उर्फ हारू मंडल, पिता-स्व0 खगेन मंडल, ग्राम-भेलाटांड, पोस्ट-जगलपुर,	गोविन्दपुर थाना काण्ड सं0 364/92 जी0आर0	पृष्ठ-86 क्र0- 13(21)	कारण:-दिनांक 22.12.1992 को निषेधाज्ञा का उल्लंघन एवं प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने का प्रयास। धारा-188 भा0द0वि0	कंडिका 2(ix)

	थाना-गोविन्दपुर, प्रखण्ड-गोविन्दपुर, लिंग-पुरुष	4983/92			
12	आवेदक-बोसनाथ महतो, पिता-दुर्जा महतो उर्फ दुर्योधन महतो, ग्राम-सिमलडीह, पोस्ट-तेलीपाडा, थाना-हिरापुर, प्रखण्ड-धनबाद, लिंग-पुरुष	धनबाद थाना रेल काण्ड संख्या 131/99 जी0आर0 302/99	नही	कारण:-दिनांक 13.12.1999 को झारखण्ड बंद के अवसर पर रेल रोकने का आरोप। धारा-147/174 (रेलवे अधि0)	कंडिका 2(ix)
13	आवेदक-खेमनारायण सिंह, पिता-स्व0 चूड़ीलाल सिंह, ग्राम-कांशीटांड, पोस्ट-नागनगर, थाना-बरवड्डा, प्रखण्ड-गोविन्दपुर, लिंग-पुरुष	गोविन्दपुर (बरवाड्डा) थाना काण्ड संख्या 286/92 जी0आर0 4019/92	अंकित पृष्ठ सं0-87 15(16)	कारण:-दिनांक 11.10.1992 को नाजायज मजमा बनाकर मारपीट करने, मार्ग अवरुद्ध करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप। धारा-147/148/149/323 भा0द0वि0	कंडिका 2(ix)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या-14/विविध-05/2023- 3810-- गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

जिला:- पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर

क्र०	आंदोलनकारी की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-शैलेन्द्र महतो , पिता-स्व० रवि चरण महतो, ग्राम-ओल्ड सोनारी, पोस्ट-सोनारी, थाना-सोनारी , प्रखण्ड-जमशेदपुर, लिंग पुरुष	बिष्टुपुर थाना अप्राथ० सं० 07/93 अनु० दण्डा० धालभूम मिसवाद सं० 288/93	नहीं	कारण:-दिनांक-15.03.1993 को झारखण्ड बंद एवं आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116 दं०प्र०सं० जेल की अवधि:-14 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
2	आवेदक-जरनैल सिंह भाटिया उर्फ लखी सिंह, पिता-स्व० मानसिंह भाटिया, उर्फ बी०एन० सिंह, ग्राम-वार्ड नं०-12, स्टेशन रोड, जुगसलाई, पोस्ट-जुगसलाई, थाना-सोनारी, प्रखण्ड-जमशेदपुर, लिंग पुरुष	बिष्टुपुर थाना अप्राथ० सं० 07/93 अनु० दण्डा० धालभूम मिसवाद सं० 288/93	नहीं	कारण:-दिनांक-15.03.1993 को झारखण्ड बंद एवं आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116 दं०प्र०सं० जेल की अवधि:-17 दिन	कंडिका 2(viii) (a)

3	आवेदक-चन्द्रमोहन प्रसाद , पिता-स्व० द्वारिका प्रसाद, ग्राम-58 ठाकुरबारी पथ, उलियान, कदमा, पोस्ट- गुहियापाल, थाना-कदमा, प्रखण्ड-जमशेदपुर, लिंगपुरुष	बिष्टपुर थाना अप्राथ० सं० 07/93 अनु० दण्डा० धालभूम मिसवाद सं० 288/93	नही	कारण:-दिनांक-15.03.1993 को झारखण्ड बंद एवं आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116 दं०प्र०सं० जेल की अवधि:-11 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
4	आवेदक-रामकृष्ण सोरेन, पिता-स्व० लोबिन सोरेन, ग्राम-देवघर, पोस्ट-भिलाई पहाड़ी, थाना-एम०जी०एम०, प्रखण्ड-जमशेदपुर, लिंग पुरुष	मानगो थाना काण्ड सं०-64/96 जी० आर० सं० 557/96 मनगो थाना काण्ड सं० -68/96 जी० आर० सं० 580/96	पृ०सं०-55 क्र०सं०-24(3)	कारण:-दिनांक-15.03.1996 को झारखण्ड समर्थकों द्वारा विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-435/34 भा०द०वि० जेल की अवधि:-12 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
5	आवेदक-दाखिन सोरेन उर्फ छोटू दाखिन, पिता- गोपाल सोरेन, ग्राम-चड़कमारा, पोस्ट-गुहियापाल, थाना-बहरागोड़ा, प्रखण्ड-बहरागोड़ा, लिंगपुरुष	अनु०दण्डा० घाटशिला मिस केस नं० 81/93	नही	कारण:- दिनांक- 19.03.1993 को झारखण्ड नाकेबंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, द०प्र०स० जेल की अवधि- 01माह 18 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
6	आवेदिका-बाली सोरेन (आश्रित पत्नी), पति-स्व० रघुनाथ सोरेन उर्फ	अनु०दण्डा० घाटशिला मिस केस	नही	कारण:- दिनांक- 19.03.1993 को झारखण्ड नाकेबंदी के दौरान	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित

	रघुना सोरेन (मूल आन्दोलनकारी), ग्राम-चड़कमारा, पोस्ट- गुहियापाल, थाना-बहरागोड़ा, प्रखण्ड-बहरागोड़ा, लिंगमहिला	नं0 81/93		विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, द0प्र0स0 जेल की अवधि- 01माह 18 दिन	पत्नी),
7	आवेदिका-फुलमनी सोरेन (आश्रित पत्नी), पति का नाम-स्व0 दाखिन सोरेन (मूल आन्दोलनकारी), ग्राम-चड़कमारा, पोस्ट-गुहियापाल, थाना-बहरागोड़ा, प्रखण्ड-बहरागोड़ा, लिंगमहिला	अनु0दण्डा0 घाटशिला मिस केस नं0 81/93	नही	कारण:- दिनांक- 19.03.1993 को झारखण्ड नाकेबंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, द0प्र0स0 जेल की अवधि- 01माह 18 दिन	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
8	आवेदक-मदन किस्कू , पिता-भसल किस्कू उर्फ बरसा किस्कू , ग्राम-चड़कमारा, पोस्ट-गुहियापाल, थाना-बहरागोड़ा, प्रखण्ड-बहरागोड़ा, लिंग पुरुष	अनु0दण्डा0 घाटशिला मिस केस नं0 81/93	नही	कारण:- दिनांक- 19.03.1993 को झारखण्ड नाकेबंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, द0प्र0स0 जेल की अवधि- 01माह 18 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
9	आवेदिका-गंगामनी सोरेन (आश्रित पत्नी), पति-स्व0 कारान सोरेन (मूल आन्दोलनकारी), ग्राम-चड़कमारा, पोस्ट-गुहियापाल, थाना-बहरागोड़ा, प्रखण्ड-बहरागोड़ा, लिंगमहिला	अनु0दण्डा0 घाटशिला मिस केस नं0 81/93	नही	कारण:- दिनांक- 19.03.1993 को झारखण्ड नाकेबंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107 द0प्र0स0 जेल अवधि- 01 माह 17 दिन	कंडिका 2(viii) (a) (अश्रित पत्नी)
10	आवेदक- सीताराम टुइ, पिता-स्व0 सामु टुइ,	पोटका थाना अप्राथ0 सं0	नही	कारण:-दिनांक-15.09.1993 को झारखण्ड बंद एवं	कंडिका 2(viii) (a)

	ग्राम-मानपुर, पोस्ट-मानपुर, थाना-पोटका, प्रखण्ड-पोटका, लिंग पुरुष	57/93 अनु0दण्डा0 धालभूम मिस केस नं0 1081/93		आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116 (iii) दं0प्र0सं0 जेल की अवधि:-01 माह 16 दिन	
11	आवेदक-फजल खां उर्फ गुलरेज खां, पिता-सउद खां , ग्राम-रोड नं0 01, धातकीडीह, पोस्ट-बिष्टुपुर, थाना- बिष्टुपुर, प्रखण्ड-जमशेदपुर , लिंग पुरुष	अनु0दण्डा0 जमशेदपुर मिस केस नं0 318/93	नही	कारण:- दिनांक- 22.03.1993 को झारखण्ड बंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 116 (iii) दं0प्र0सं0 जेल की अवधि- 07 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
12	आवेदक-मनोज कुमार बास्के, पिता-स्व0 दुर्गा चरण बास्के, ग्राम-दरखुली, पोस्ट-बहरागोड़ा, थाना-बहरागोड़ा, प्रखण्ड-बहरागोड़ा, लिंगपुरुष	बहरागोड़ा थाना काण्ड सं0-48/88 जी0आर0 सं0-359/88	नही	कारण:- दिनांक- 19/20.05.1988 को आजसू समर्थकों द्वारा झारखण्ड ठप्प करने का आरोप। धारा-03/04 वि0पदा0 अधि0, जेल अवधि-02 माह 05 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
13	आवेदक-सुनील कुमार महतो, पिता-स्व0 प्राण बल्लभ महतो, ग्राम-धोलाडीह बेगा बालीडीह , पोस्ट-गितिलता,	पोटका थाना काण्ड सं0- 18/93 जी0आर0 सं0-703/93	पृष्ठ-60 क्र0- 44(03)	कारण:- दिनांक- 10.04.1993 को आर्थिक नाकेबंदी के दौरान विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-04 वि0पदा0 अधि0 जेल अवधि-20 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)

	थाना-पोटका, प्रखण्ड-पोटका, लिंगपुर				
14	आवेदक-रामी मांझी उर्फ रामी किस्कू, पिता-टिमु मांझी उर्फ टिमु किस्कू, ग्राम-डी0वी0सी0 डुगरीडीह, पोस्ट-मुसाबनी, थाना-मुसाबनी, प्रखण्ड-मुसाबनी, लिंगपुर	मुसाबनी थाना काण्ड सं0-30/89 जी0आर0 नं0-222/89 एस0टी0 नं0-110/92	पृ0सं0- 50 क्र0-1 (15)	कारण:- दिनांक 24.11.1989 को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप। धारा-147/148/149 भा0द0वि0 जेल अवधि- 16 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
15	आवेदक-प्रकाश चन्द्र झा, पिता-दीप नारायण झा, ग्राम-मानगो, गुरुद्वारा रोड, पोस्ट-मानगो, थाना-मानगो, प्रखण्ड-जमशेदपुर, लिंगपुर	साकची थाना अप्राथ0 संख्या- 32/92 अनु0 दण्डा धालभूम मिस केस संख्या- 333/92	नही	कारण:-दिनांक-14.04.1992 को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116 (iii) द0प्र0स0 जेल अवधि-07 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
16	आवेदक-शम्भू नाथ दास, पिता-कुषध्वज दास, ग्राम-बामनगोड़ा, पोस्ट-सारजमदा, थाना-परसुडीह, प्रखण्ड-जमशेदपुर, लिंगपुर	परसुडीह थाना अप्राथ0 काण्ड सं0- 49/91 अनु0दण्डा0 धालभूम मिस वाद सं0- 1150/91	नही	कारण:- दिनांक 21.08.1991 को झारखण्ड बंद के दिन विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116(3) द0प्र0स0 जेल अवधि- 02 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
17	आवेदिका- सुमित्रा मारी (अश्रित पत्नी), पति-स्व0 लेदा मारी (मूल	डुमरिया थाना काण्ड संख्या-	नही	कारण:- दिनांक 24.11.1989 को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना एवं	कंडिका 2(viii) (a) (अश्रित

	आन्दोलनकारी), ग्राम-दामुकोचा, पोस्ट-भागाबन्दी, थाना-डुमरिया, प्रखण्ड-डुमरिया , लिंगमहिला	30/89 जीआर संख्या- 726/89		सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप। धारा-147/148/149 भा0द0वि0	पत्नी)
18	आवेदिका-संध्या भुईया (आश्रित पत्नी), पति-स्व0 नन्दे भुईया (मूल आन्दोलकारी), ग्राम-भुईयाडीह, पोस्ट-साकची, थाना-सीतारामडेरा, प्रखण्ड-जमशेदपुर, लिंगमहिला	सीतारामडेरा थाना काण्ड संख्या- 27/93 जी0आर0 संख्या- 610/93	नहीं	कारण:- दिनांक- 29.03.1993 को झारखण्ड बंद तथा आर्थिक नाकेबंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-307, 427, 34 भा0द0वि0	कंडिका 2(ix) (आश्रित पत्नी),
19	आवेदक-मदन कुमार उर्फ मदन लोहरा पिता-स्व0 धीरेन लोहरा ग्राम-मकान संख्या-11 ए0, सोनारी पोस्ट-सोनारी थाना-सोनारी प्रखण्ड-जमशेदपुर लिंगपुरुष	नहीं	नहीं	कारण:- दिनांक- 29.03.1993 को झारखण्ड बंद तथा आर्थिक नाकेबंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-307, 427, 34 भा0द0वि0	कंडिका 2(ix)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या-14/विविध-05/2023- 3810--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

जिला:- गिरिडीह

क्र०	आंदोलनकारी की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या-1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	नाम-गोपाल कुमार मजुमदार, पिता-निर्मल कुमार मजुमदार, ग्राम-राँगामाटी, पोस्ट-दुम्मा, थाना-जमुआ, प्रखण्ड-जमुआ, लिंग-पुरुष	जमुआ थाना अप्राथ० संख्या-66/92 अनु० दण्डा० गिरिडीह वाद संख्या- 1035/92	नहीं	कारण:-दिनांक 01.09.1992 को झारखण्ड बंद के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 151 द०प्र०स० जेलअवधि-01 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
2	आवेदक-कुदुस अंसारी उर्फ मो० कुदुस पिता-स्व० अकलमिया, ग्राम-तेलमकरी, पोस्ट-तारा, थाना-जमुआ, प्रखण्ड-जमुआ, लिंग-पुरुष	जमुआ थाना अप्राथ० संख्या-66/92 अनु० दण्डा० गिरिडीह वाद संख्या- 1035/92	नहीं	कारण:-दिनांक 01.09.1992 को झारखण्ड बंद के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 151 द०प्र०स० जेलअवधि-01 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
3	आवेदक-गौरी खातुन (आश्रित पत्नी), पति-स्व० हनीफ खान उर्फ हनिफ मियां (मूल आंदोलनकारी), ग्राम-डोरण्डा, पोस्ट-डोरण्डा, थाना-धनवार,	मरकच्चो थाना अप्राथ० संख्या 30/89 अनु० दण्डा० कोडरमा वाद सं०	नहीं	कारण:-दिनांक 10.06.1989 को झारखण्ड बंद एवं आर्थिक नाके बंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107 द०प्र०स० जेल की अवधि-04 दिन।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)

	प्रखण्ड-धनवार, लिंग-महिला	368/89			
4	नाम-मनोज भक्त उर्फ मनोज भोक्ता, पिता-स्व० नारायण भक्त उर्फ नारायण भोक्ता, ग्राम-जरमुने, पोस्ट-बगोदर, थाना-बगोदर, प्रखण्ड-बगोदर, लिंग-पुरुष	अनु० दण्डा० राँची वाद संख्या-एम० 331/93	नही	कारण:-दिनांक 15.03.1993 को अलग झारखण्ड मांग करने के कारण विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 151, 116(iii) द०प्र०स० जेल अवधि-30 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
5	आवेदक-मार्टिन सोरेन (आश्रित पुत्र), पिता-स्व० परमेश्वर सोरेन (मूल आन्दोलनकारी), ग्राम-इरचिट्टा, पोस्ट-फुलची, थाना-गाण्डेय, प्रखण्ड-गाण्डेय, लिंग-पुरुष	गिरिडीह (नगर) थाना काण्ड सं०- 103/89	नही	कारण:-दिनांक 09.06.1989 को झारखण्ड अलग राज्य की मांग को लेकर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 148, 188 भा०द०वि० जेलअवधि-08 दिन।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पुत्र),
6	आवेदक-राजकुमार पाठक (आश्रित पुत्र), पिता-स्व० विशेश्वर पाठक (मूल आन्दोलनकारी), ग्राम-जोराआम, पोस्ट-गाण्डेय, थाना-गाण्डेय, प्रखण्ड-गाण्डेय लिंग-पुरुष	गिरिडीह(नगर) थाना काण्ड सं०-109/83	नही	कारण:-दिनांक 10.05.1983 को जेल भरो अभियान के तहत निषेधाज्ञा उल्लंघन करने का आरोप। धारा-188 भा०द०वि०	(कंडिका 2(ix) आश्रित पुत्र),
7	आवेदक-जोसेफ सोरेन उर्फ युसुफ सुरेन, पिता-स्व० पीटर सोरेन, ग्राम-झलकडीहा, पोस्ट-टीकलाटो, थाना- बैंगाबाद , प्रखण्ड-बैंगाबाद,	गिरिडीह(नगर) थाना काण्ड सं०-109/83	नही	कारण:-दिनांक 10.05.1983 को जेल भरो अभियान के तहत निषेधाज्ञा उल्लंघन करने का आरोप। धारा-188 भा०द०वि०	कंडिका 2(ix)

	लिंग-पुरुष				
8	आवेदक-रामेश्वर मुर्मू उर्फ रामेश्वर शर्मा, पिता-स्व0 चरकू मुर्मू ग्राम-दुन्दो, पोस्ट-महेशमुण्डा, थाना-बेंगाबाद, प्रखण्ड-बेंगाबाद, लिंग-पुरुष	गिरिडीह(नगर) थाना काण्ड सं0-109/83	नही	कारण:-दिनांक 10.05.1983 को जेल भरो अभियान के तहत निषेधाज्ञा उल्लंघन करने का आरोप। धारा-188 भा0द0वि0	कंडिका 2(ix)
9	आवेदक-ईश्वर मुर्मू उर्फ भुनेश्वर राम, पिता-स्व0 मदनमुर्मू ग्राम-केराडाबर, पोस्ट-मन्डरो, थाना-गाण्डेय, प्रखण्ड-गाण्डेय, लिंग-पुरुष	गिरिडीह(नगर) थाना काण्ड सं0-109/83	नही	कारण:-दिनांक 10.05.1983 को जेल भरो अभियान के तहत निषेधाज्ञा उल्लंघन करने का आरोप। धारा-188 भा0द0वि0	कंडिका 2(ix)
10	आवेदक-टोडीनारायण सिंह उर्फ नकुल शर्मा, पिता-स्व0 सेवा सिंह, ग्राम-दासडीह, पोस्ट-गाण्डेय, थाना-गाण्डेय, प्रखण्ड-गाण्डेय, लिंग-पुरुष	गिरिडीह(नगर) थाना काण्ड सं0-109/83	नही	कारण:-दिनांक 10.05.1983 को जेल भरो अभियान के तहत निषेधाज्ञा उल्लंघन करने का आरोप। धारा-188 भा0द0वि0	कंडिका 2(ix)
11	नाम-केदारनाथ सिंह, पिता-हुरो सिंह उर्फ घुरन सिंह, ग्राम-पालमो, पोस्ट-खरियोडीह, थाना-हिरोडीह, प्रखण्ड-राजधनवार, लिंग-पुरुष	पालोजोरी थाना काण्ड संख्या-46/89	नही	कारण:-दिनांक 09.06.1989 को झारखण्ड बंद के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 148, 149 भा0द0वि0	कंडिका 2(ix)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या-14/विविध-05/2023- 3810--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

जिला:- गोड्डा

क्र०	आंदोलनकारी की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या-1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-भीमसेन्ट मराण्डी उर्फ भगत मरांडी, पिता-स्व० सुखु मरांडी, ग्राम-पिन्डारी, पोस्ट-बरमसिया, थाना-पोडैयाहाट, प्रखण्ड-पोडैयाहाट, लिंगपुर	पोडैयाहाट थाना काण्ड संख्या 02/78 जी०आर० 752/78	नहीं	कारण:- दिनांक- 28.11.1978 को झारखण्ड बंद के दौरान नजायज मजमा लगा कर हरवे हथियार से लैस होकर धान की फसल को लूट करने का आरोप। धारा-144, 379 भा०द०वि०	कंडिका 2(viii) (a)

				जेलअवधि-10 दिन।	
2	आवेदक-शिवलाल मराण्डी, पिता-स्व० नायकी मराण्डी, ग्राम-पिन्डारी, पोस्ट-बरमसिया, थाना-पोड़ैयाहाट, प्रखण्ड-पोड़ैयाहाट, लिंगपुर	पोड़ैयाहाट थाना काण्ड संख्या 02/78 जी०आर० 752/78	नहीं	कारण:-दिनांक- 28.11.1978 को झारखण्ड बंद के दौरान नजायज मजमा लगा कर हरवे हथियार से लैस होकर धान की फसल को लूट करने का आरोप। धारा-144, 379 भा०द०वि० जेलअवधि-10 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
3	आवेदक-नन्दकिशोर मरांडी, पिता-स्व० सुन्दर मरांडी, ग्राम-अकाशी, पोस्ट-बरमसिया, थाना-पोड़ैयाहाट, प्रखण्ड-पोड़ैयाहाट, लिंगपुर	पोड़ैयाहाट थाना काण्ड संख्या 12/78 जी०आर० 670/78	नहीं	कारण:-झारखण्ड बंद के दौरान नजायज मजमा लगा कर हरवे हथियार से लैस होकर धान की फसलकोलूट करने का आरोप। धारा-144, 379 भा०द०वि० जेलअवधि-10 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
4	आवेदक-देवीलाल सोरेन, पिता-स्व० सूरज सोरेन, ग्राम-डुमरिया, पोस्ट-मोहनपुर, थाना-ललमटिया, प्रखण्ड-बोआरीजोर, लिंगपुर	महागामा थाना अप्राथ० सं० 56/93	नहीं	कारण- दिनांक- 15.09.1993 को झारखंड बंद एवं दि०-16.09.1993 से आर्थिक नाका बंदी के अवसर पर विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107,113,116 (iii) द०प्र०स०	कंडिका 2(ix)
5	आवेदक-बबलू हाँसदा, पिता-स्व० मुंशी हाँसदा, ग्राम-डुमरिया, पोस्ट-मोहनपुर, थाना-ललमटिया, प्रखण्ड-बोआरीजोर, लिंगपुर	महागामा थाना अप्राथ० सं० 56/93	नहीं	कारण- दिनांक- 15.09.1993 को झारखंड बंद एवं दि०-16.09.1993 से आर्थिक नाका बंदी के अवसर पर विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107,113,116 (iii)	कंडिका 2(ix)

				द0प्र0स0	
6	आवेदक-मो0 इसलामअन्सारी, पिता-स्व0 रूस्तमहैदर, ग्राम-फसियाडंगाल, पोस्ट-गोड्डा, थाना-गोड्डानगर, प्रखण्ड-गोड्डा, लिंगपुरुष	बोआरीजोर (ललमटिया) थाना काण्ड संख्या 16/96 महागामा थाना काण्ड सं0-23/96	पृष्ठ सं0-97 क्र0सं0- 01(7)	कारण:-दिनांक 15.09.93 को झारखण्ड बंद एवं 16.09.93 को आर्थिक नाके बंदी के दौरान विधि- व्यवस्था भंग का आरोप। धारा-107 द0प्र0स0	कंडिका 2(ix)
7	आवेदक-चुण्डा मुर्मू पिता- स्व0 नारायण मुर्मू ग्राम-मुर्गावनी, पोस्ट-बरमसिया, थाना-पोडैयाहाट, प्रखण्ड-पोडैयाहाट, लिंगपुरुष	पोडैयाहाट थाना काण्ड संख्या 02/78 जी0आर0 752/78	नही	कारण:-दिनांक- 28.11.1978 को झारखण्ड बंद के दौरान नजायज मजमा लगा कर हरवे हथियार से लैस होकर धान की फसल को लूट करने का आरोप। धारा-144, 379 भा0द0वि0	कंडिका 2(ix)
8	आवेदक-मंगरासोरेन पिता-स्व0 मदनसोरेन ग्राम-पिण्डारीपोस्ट- बरमसिया थाना-पोडैयाहाटप्रखण्ड- पोडैयाहाट लिंगपुरुष	पोडैयाहाट थाना काण्ड संख्या 02/78 जी0आर0 752/78	नही	कारण:-दिनांक- 28.11.1978 को झारखण्ड बंद के दौरान नजायज मजमा लगा कर हरवे हथियार से लैस होकर धान की फसल को लूट करने का आरोप। धारा-144, 379 भा0द0वि0	कंडिका 2(ix)
9	आवेदक-प्रधानहाँसदा पिता-स्व0 बैजूनहाँसदा ग्राम-पिण्डारीपोस्ट- बरमसिया थाना-पोडैयाहाटप्रखण्ड-	पोडैयाहाट थाना काण्ड संख्या 02/78 जी0आर0	नही	कारण:-दिनांक- 28.11.1978 को नजायज मजमा लगाकर हरवे हथियार से लैस होकर धान की फसल को लूट	कंडिका 2(ix)

	पोड़ैयाहाट लिंगपुर	752/78		करने का आरोप। धारा-144, 379 भा0द0वि0	
10	आवेदक-भगन हाँसदा, पिता-स्व0 बड़का हाँसदा, ग्राम-पिण्डारी, पोस्ट-बरमसिया, थाना-पोड़ैयाहाट, प्रखण्ड-पोड़ैयाहाट, लिंगपुर	पोड़ैयाहाट थाना काण्ड संख्या 02/78 जी0आर0 752/78	नही	कारण:-दिनांक- 28.11.1978 को नजायज मजमा लगाकर हरवे हथियार से लैस होकर धान की फसल को लूट करने का आरोप। धारा-144, 379 भा0द0वि0	कंडिका 2(ix)
11	आवेदक-सनत हेम्ब्रम, पिता-स्व0 ननकु हेम्ब्रम, ग्राम-डोडाबांध, पोस्ट-पोड़ैयाहाट, थाना-पोड़ैयाहाट, प्रखण्ड-पोड़ैयाहाट लिंगपुर	पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0 41/78 जी0आर 755/78 पोड़ैयाहाट थाना काण्ड संख्या 42/78 जी0आर0 754/78	नही	कारण:-दिनांक- 28.11.1978 को नजायज मजमा लगाकर हरवे हथियार से लैस होकर धान की फसल को लूट करने का आरोप। धारा-144, 379 भा0द0वि0	कंडिका 2(ix)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या-14/विविध-05/2023- 3810--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

जिला:- गुमला

क्र०	आंदोलनकारी की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-लोकनाथ उराँव उर्फ लोकनाथ भगत, पिता-फगुवा उराँव उर्फ बिगन भगत, ग्राम-जोरया, पोस्ट-बिशुनपुर, थाना-बिशुनपुर, प्रखण्ड-बिशुनपुर, लिंगपुर	गुमला थाना काण्ड सं० 199/92 जी०आर० 780/92	नहीं	कारण:-दिनांक 15.09.1992 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-03/05 वि०पदा०अधि० जेल अवधि-01 माह 25दिन	कंडिका 2(viii) (a)
2	आवेदक-एतवा उराँव उर्फ भीख राम कुजूर, पिता-बिरसाई उराँव, ग्राम-फलवारटोली, पोस्ट-गुमला, थाना-गुमला, प्रखण्ड-गुमला, लिंगपुर	गुमला थाना काण्ड सं० 54/93 जी०आर० 180/93	नहीं	कारण:-दिनांक 12.03.1993 को झारखण्ड मिटिंग में जाने के लिए बस अपहरण आरोप एवं छोड़ने के लिए रंगदारी मांगने का आरोप। धारा-143, 160, 384 भा०द०वि०। जेलअवधि-01 दिनसेअधिक	कंडिका 2(viii) (a)

3	आवेदक-सुकरा उराँव उर्फ सुकरा टोप्पो, पिता-सोमा उराँव सोमा उर्फ टोप्पो, ग्राम-बरहाटोली, पोस्ट-तेलगाँव, थाना-गुमला, प्रखण्ड-गुमला, लिंगपुरुष	गुमला थाना काण्ड सं० 54/93 जी०आर० 180/93	नही	कारण:-दिनांक 13.03.1993 को झारखण्ड मिटिंग में जाने के लिए बस अपहरण एवं छोड़ने के लिए रंगदारी मांगने का आरोप। धारा-143, 160, 384 भा०द०वि० जेलअवधि-01 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
4	आवेदक-पुनाई उराँव उर्फ पुनाई कुजूर, पिता-बिरसाई उराँव उर्फ बिरसाई कुजूर, ग्राम-बराहटोली, पोस्ट-तेलगाँव, थाना-गुमला, प्रखण्ड-गुमला, लिंगपुरुष	गुमला थाना काण्ड सं० 54/93 जी०आर० 180/93	नही	कारण:-दिनांक 12.03.1993 को झारखण्ड मिटिंग में जाने के लिए बस अपहरण एवं छोड़ने के लिए रंगदारी मांगने का आरोप। धारा-143, 160, 384 भा०द०वि० जेल अवधि-01 दिन से अधिक	कंडिका 2(viii) (a)
5	आवेदक-सिलबिरयूस मिंज उर्फ बिलु मिंज, पिता-स्व० सिमोन मिंज, ग्राम-मरदा, पोस्ट-नवागढ़, थाना-रायडीह, प्रखण्ड-रायडीह, लिंगपुरुष	रायडीहथाना अप्राथ० सं० 21/94 अनु० दण्डा० गुमलावाद सं० एम-428/94	नही	कारण:-दिनांक 06.06.1994 को झारखण्ड राज्य के मांग को लेकर बिहार बंद कराने का आरोप। धारा-107, 116, 103;पपप) द०प्र०स०	कंडिका 2(ix)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या-14/विविध-05/2023- 3810--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

जिला:- हजारीबाग

क्र०	आंदोलनकारी की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-रामचन्द्र वर्मा, पिता-स्व० लालधारी वर्मा, ग्राम-श्रीरामपुर (खोडा आहार), पोस्ट-देवचन्दा, थाना-बरही, प्रखण्ड-माण्डू, लिंगपुर	माण्डू थाना काण्ड संख्या- 04/99	नहीं	कारण:- दिनांक- 04.01.1999 को झारखण्ड बंद के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 149, 447 भा०द०वि० जेल अवधि:-11 माह 01 दिन ।	कंडिका 2(viii) (a)
2	आवेदक-देवचन्द महतो, पिता-स्व० देवनाथ महतो, ग्राम-डाड़ी, पोस्ट-डाड़ी, थाना-गिददी ए०, प्रखण्ड-डाड़ी, लिंगपुर	कुजु थाना अप्राथ० सं०- 45/98अनु० दण्डा० रामगढ़ वाद संख्या-	नहीं	कारण:- दिनांक- 01.12.1998 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/113/116 (iii) द०प्र०स०	कंडिका 2(viii) (a)

		275/98		जेल अवधि-03 दिन।	
3	आवेदक-सुरेन्द्र कुमार महतो, पिता-स्व० नारायण महतो, ग्राम-होसिर, पोस्ट-डाड़ी, थाना-गिद्दी ए०, प्रखण्ड-डाड़ी, लिंगपुर	अनु० दण्डा० हजारीबाग वाद संख्या- 716/98	नहीं	कारण:- दिनांक- 16.12.1998 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 151 द०प्र०स० जेल अवधि-03 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
4	आवेदक-अशोक कुमार महतो उर्फ अशोक कुमार, पिता-जगरनाथ महतो, ग्राम-होसिर, पोस्ट-डाड़ी, थाना-गिद्दी ए०, प्रखण्ड-डाड़ी, लिंगपुर	अनु० दण्डा० हजारीबाग वाद संख्या- 716/98	नहीं	कारण:- दिनांक- 16.12.1998 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 151 द०प्र०स० जेल अवधि-03 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
5	आवेदक-नागेश्वर पटेल, पिता-प्रयाग महतो, ग्राम-होसिर , पोस्ट-डाड़ी, थाना-गिद्दी ए०, प्रखण्ड-डाड़ी, लिंगपुर	अनु० दण्डा० हजारीबाग वाद संख्या- 716/98	नहीं	कारण:- दिनांक- 16.12.1998 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 151 द०प्र०स० जेल अवधि-03 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
6	आवेदक-कुलदीप गोप उर्फ बाबुलाल गोप, पिता-स्व० अन्ता गोप, ग्राम-हेसालौंग, पोस्ट-डाड़ी, थाना-गिद्दी ए०, प्रखण्ड-डाड़ी, लिंगपुर	गिद्दी थाना काण्ड सं० 26/93 जी०आर० 559/93	नहीं	कारण:- दि०-18.03.1993 को झारखण्ड समर्थकों द्वारा आर्थिक नाकेबंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 435, 427 भा०द०वि०	कंडिका 2(ix)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या-14/विविध-05/2023- 3810--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

जिला:- कोडरमा

क्र०	आंदोलनकारी की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-दरोगी राजवंशी, पिता-स्व० पेरू राजवंशी, ग्राम-सपही, पोस्ट-सपही, थाना-डोमचांच, प्रखण्ड-डोमचांच, लिं गपुरुष	तिलैया थाना अप्राथ० सं० 15/93 कोडरमा अनु० दण्डावाद सं०	नहीं	कारण:-दिनांक 15.03.1993 को झामुमो (सोरेन गुट) द्वारा झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग का आरोप। धारा-107, 151 दं०प्र०सं० जेल अवधि-12 दिन	कंडिका 2(viii) (a)

		124/93			
2	आवेदक-जीतू बिरहोर, पिता-स्व० बरकू बिरहोर, ग्राम-नलवा, पोस्ट-डोमचांच, थाना-डोमचांच, प्रखण्ड-डोमचांच, लिंगपुर	कोडरमा अनु० दण्डावाद सं० 124/93	नही	कारण:-दिनांक 15.03.1993 को झारखण्ड बंद के अवसर पर झारखण्ड जिन्दाबाद का नारा लगाते हुये विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 151 द०प्र०स०	कंडिका 2(ix)
3	आवेदक-कैलाश बिरहोर, पिता-स्व० गोखुल बिरहोर, ग्राम-वार्ड नं०-02 तिलैयाबस्ती, पोस्ट-तिलैया, थाना-तिलैया, प्रखण्ड-कोडरमा, लिंगपुर	कोडरमा अनु० दण्डावाद सं० 124/93	नही	कारण:-दिनांक 15.03.1993 को झारखण्ड बंद के अवसर पर झारखण्ड जिन्दाबाद का नारा लगाते हुये विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 151 द०प्र०स०	कंडिका 2(ix)
4	आवेदक-सिटन बिरहोर, पिता-स्व० डोमो बिरहोर, ग्राम-झुमरीतिलैया बस्ती, पोस्ट-तिलैया, थाना-तिलैया, प्रखण्ड-कोडरमा, लिंगपुर	कोडरमा अनु० दण्डावाद सं० 124/93	नही	कारण:-दिनांक 15.03.1993 को झारखण्ड बंद के अवसर पर झारखण्ड जिन्दाबाद का नारा लगाते हुये विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 151 द०प्र०स०	कंडिका 2(ix)
5	आवेदक-लखन बिरहोर, पिता-स्व० गोविन्द बिरहोर, ग्राम-ढोढ़ाकोला, पोस्ट-ढोढ़ाकोला, थाना-डोमचाँच, प्रखण्ड-डोमचाँच, लिंगपुर	कोडरमा अनु० दण्डावाद सं० 124/93	नही	कारण:-दिनांक 15.03.1993 को झारखण्ड बंद के अवसर पर झारखण्ड जिन्दाबाद का नारा लगाते हुये विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 151 द०प्र०स०	कंडिका 2(ix)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या-14/विविध-05/2023- 3810--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

जिला:- लातेहार

क्र०	आंदोलनकारी की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-मुकेश प्रसाद, पति-स्व० बिगु साव, ग्राम-हुण्डरू, पोस्ट-डेमू, थाना-लातेहार, प्रखण्ड-लातेहार, लिंगपुर	लातेहार थाना काण्ड सं० 63/95 जी०आर० संख्या- 252/95	नहीं	कारण:-दिनांक 05.07.1995 को झारखण्ड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन की मांग को लेकर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-341, 323, 337 भा०द०वि०	कंडिका 2(viii) (a)

				जेल की अवधि-01 दिन।	
2	आवेदक-बसंती मसोमात (आश्रित पत्नी), पति-स्व० चन्देश्वर सिंह उर्फ चंद्रदेव उराँव (मूल आन्दोलनकारी), ग्राम-हुण्डरू, पोस्ट-डेमू, थाना-लातेहार, प्रखण्ड-लातेहार, लिंगमहिला	लातेहार थाना काण्ड सं० 63/95 जी०आर० संख्या- 252/95	नहीं	कारण:-दिनांक 05.07.1995 को झारखण्ड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन की मांग को लेकर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-341, 323, 337 भा०द०वि० जेल की अवधि-01 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
3	आवेदक-फुलो देवी उर्फ बंधनि देवी (आश्रित पत्नी), पति-स्व० महेन्द्र मेहता (मूल आन्दोलनकारी), ग्राम-हुण्डरू, पोस्ट-डेमू, प्रखण्ड-लातेहार, थाना-लातेहार, लिंगमहिला	लातेहार थाना काण्ड सं० 63/95 जी०आर० संख्या- 252/95	नहीं	कारण:-दिनांक 05.07.1995 को झारखण्ड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन की मांग को लेकर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-341, 323, 337 भा०द०वि० जेल की अवधि-01 दिन।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी),

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या-14/विविध-05/2023-3810--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

जिला:- लोहरदगा

क्र०	आंदोलनकारी की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-सन्त कुमार उराँव, पिता-स्व० नथुवा उराँव उर्फ मसीह उराँव, ग्राम-हुदु पोस्ट-गितिलगढ़, थाना-कैरो, प्रखण्ड-कैरो, लिं गपुरुष	लोहरदगा थाना काण्ड सं० 124/87 जी०आर० 323/87	नहीं	कारण:-19.11.1987 को झारखण्ड बंद के अवसर पर निषेधाज्ञा उल्लंघन करने का आरोप। धारा-188 भा०द०वि० जेल की अवधि- 04 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
2	आवेदक-राजु उराँव, पिता-स्व० कोकिल उराँव, ग्राम-पावरगंज चौक, उराँव सोकड़ा, न्यू रोड, पोस्ट-लोहरदगा, थाना-लोहरदगा,	लोहरदगा थाना काण्ड सं० 190/92	नहीं	कारण:-दिनांक 23.11.1992 को झारखण्ड बंद की तिथि को पुलिसकर्मियों पर गोली चलाना एवं अवैध आग्नेयास्त्र के साथ इकठ्ठे होने का आरोप।	कंडिका 2(viii) (a)

	प्रखण्ड-लोहरदगा, लिंगपुर			धारा-188 भा0द0वि0 जेल की अवधि- 14 दिन	
3	आवेदक-राजु गुप्ता, पिता-बजरंग साहु, ग्राम-तिसीया, पोस्ट-तिसीया , थाना-किस्को, प्रखण्ड-किस्को, लिंगपुर	किस्को थाना दैनिकी सं0 175, 188 दिनांक- 09.06.1989	नही	कारण- 09.06.1989 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-3/4 वि0पदा0अधिक	कंडिका 2(ix)
4	आवेदक-साजीद अहमद, पिता-स्व0 सेराज अहमद, ग्राम-पावरगंज, पोस्ट-लोहरदगा, थाना-लोहरदगा, प्रखण्ड-लोहरदगा, लिंगपुर	लोहरदगा थाना अप्राथ0 सं0 102/92 अनु0दण्डा0 लोहरदगा एम वाद सं0 544/92	नही	कारण-दिनांक-24.11.1992 को सम्पूर्ण झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107 द0प्र0स0	कंडिका 2(ix)
5	आवेदक-प्रवीण कुमार जयसवाल, पिता-स्व0 महेश प्रसाद, ग्राम-मिशन चौक लोहरदगा , पोस्ट-लोहरदगा, थाना-लोहरदगा, प्रखण्ड-लोहरदगा, लिंगपुर	लोहरदगा थाना अप्राथ0 सं0 102/92 अनु0दण्डा0 लोहरदगा एम वाद सं0 544/92	नही	कारण-दिनांक-24.11.1992 को सम्पूर्ण झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107 द0प्र0स0	कंडिका 2(ix)
6	आवेदक-फुलदेव उराँव , पिता-स्व0 डहरू उराँव, ग्राम-टोडाँग,	अनु0दण्डा0 लोहरदगा एम0 वाद	नही	कारण-दिनांक 20.04.1989 को झारखण्ड को झारखण्ड बंद के दौरान विधि-व्यवस्था	कंडिका 2(ix)

	पोस्ट-हनहट, थाना-कुइ, प्रखण्ड-कुइ, लिंगपुरुष	सं0 158/89		भंग करने का आरोप। धारा-107 द0प्र0स0	
7	आवेदक-रतिया उराँव , पिता-घुडु उराँव, ग्राम-वनसीरी, पोस्ट-सेन्हा, थाना-सेन्हा, प्रखण्ड-सेन्हा, लिंग पुरुष	सेन्हा थाना अप्राथ0 सं0 46/89 अनु0दण्डा0 लोहरदगा एम0 वाद सं0 251/89	नही	कारण- दिनांक-09.06.1989 को बंद के अवसर पर विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107 द0प्र0स0	कंडिका 2(ix)
8	आवेदक-रामजीत उराँव, पिता-स्व0 सुधु उराँव, ग्राम-बनसरी गुरिया टोली, पोस्ट-सेन्हा, थाना-सेन्हा, प्रखण्ड-सेन्हा, लिंगपुरुष	सेन्हा थाना अप्राथ0 सं0 46/89 अनु0दण्डा0 लोहरदगा एम0 वाद सं0 251/89	नही	कारण- दिनांक-09.06.1989 को बंद के अवसर पर विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107 द0प्र0स0	कंडिका 2(ix)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या-14/विविध-05/2023- 3810--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

जिला:- रामगढ़

क्र०	आंदोलनकारी की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-जयगोविन्द पाण्डेय , पिता-दुबराज पाण्डेय, ग्राम-होन्हे, पोस्ट-होन्हे, थाना-रजरप्पा, प्रखण्ड-रजरप्पा, लिंगपुर	माण्डू थाना काण्ड सं० 84/93 जी०आर० सं० 544/93	अंकित पृष्ठ सं०-94 05(03)	कारण:- दिनांक 17.03.1993 को आर्थिक नाके बंदी के अवसर पर विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 148, 323 भा०द०वि० जेल अवधि-26 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
2	आवेदक-महाबीर बेदिया, पिता-स्व० धरमा बेदिया, ग्राम-हेसला, पोस्ट-हेसला, थाना-रामगढ़, प्रखण्ड-रामगढ़, लिंगपुर	रामगढ़ थाना काण्ड सं० 84/93 जी०आर० सं० 537/93	नहीं	कारण:- दिनांक 16.03.1993 को झारखण्ड बंद के दिन नजायज मजमा बनाकर मार्ग जाम कर पैसा वसूलने का आरोप। धारा-147, 341, 325 भा०द०वि०	कंडिका 2(viii) (a)

				जेल अवधि-21 दिन।	
3	आवेदक-महेन्द्र बेदिया, पिता- स्व० रूपलाल बेदिया, ग्राम-हेसला, पोस्ट-हेसला, थाना-रामगढ़, प्रखण्ड-रामगढ़, लिंगपुर	रामगढ़ थाना काण्ड सं० 84/93 जी०आर० सं० 537/93	नहीं	कारण:- दिनांक 16.03.1993 को झारखण्ड बंद के दिन नजायज मजमा बनाकर मार्ग जाम कर पैसा वसूलने का आरोप। धारा-147, 341, 325 भा०द०वि० जेल अवधि-21 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
4	आवेदक-समुन्दर बेदिया, पिता-करमा बेदिया उर्फ कर्णा बेदिया, ग्राम-कंजगी, पोस्ट-बड़का चुम्बा, थाना-गिद्दी ए०, प्रखण्ड-माण्डू, लिंगपुर	रामगढ़ थाना काण्ड सं० 84/93 जी०आर० सं० 537/93	नहीं	कारण:- दिनांक 16.03.1993 को झारखण्ड बंद के दिन नजायज मजमा बनाकर मार्ग जाम कर पैसा वसूलने का आरोप। धारा-147, 341, 325 भा०द०वि० जेल अवधि-21 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
5	आवेदक- कांता बेदिया उर्फ कमला बेदिया, पिता-महेश बेदिया, ग्राम- कंजगी, पोस्ट-बड़का चुम्बा, थाना-गिद्दी ए०, प्रखण्ड-माण्डू, लिंगपुर	रामगढ़ थाना काण्ड सं० 84/93 जी०आर० सं० 537/93	नहीं	कारण:- दिनांक 16.03.1993 को झारखण्ड बंद के दिन नजायज मजमा बनाकर मार्ग जाम कर पैसा वसूलने का आरोप। धारा-147, 341, 325 भा०द०वि० जेल अवधि-21 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
6	आवेदक-द्वारिका मुंडा,	पतरातू	नहीं	कारण:- दिनांक	कंडिका

	पिता-स्व० रमन मुण्डा, ग्राम-डुडगी, पोस्ट-बड़काकाना, थाना-पतरातू, प्रखण्ड-पतरातू, लिंगपुर	थाना काण्ड सं० 59/93 जी०आर० सं० 542/93		15.03.1993 को झारखण्ड बंदी के तिथि को विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 148, 149 भा०द०वि० जेल अवधि-19 दिन।	2(viii) (a)
7	आवेदक-देवकी नंदन बेदिया, पिता-स्व० ललका बेदिया, ग्राम-घुटुवा, पोस्ट-नया नगर बड़काकाना, थाना-पतरातू , प्रखण्ड-पतरातू , लिंगपुर	पतरातू थाना काण्ड सं० 59/93 जी०आर० सं० 542/93	नहीं	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को झारखण्ड बंदी के तिथि को विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 148, 149 भा०द०वि० जेल अवधि-19 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
8	आवेदक-देवानंद गोप, पिता-स्व० गोवर्धन गोप, ग्राम-बुजुर्ग जमीरा, पोस्ट-बड़काकाना, थाना-पतरातू , प्रखण्ड-पतरातू, लिंगपुर	पतरातू थाना काण्ड सं० 59/93 जी०आर० सं० 542/93	नहीं	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को झारखण्ड बंदी के तिथि को विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 148, 149 भा०द०वि० जेल अवधि-19 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
9	आवेदक-मोहन राम बेदिया उर्फ मोहन बेदिया, पिता-स्व० ललका बेदिया,	पतरातू थाना काण्ड सं०	नहीं	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को झारखण्ड बंदी के तिथि को विधि-	कंडिका 2(viii) (a)

	ग्राम-घुटुवा, पोस्ट-नया नगर बड़काकाना, लिंगमहिला थाना-पतरातू, प्रखण्ड-पतरातू , लिंगपुरुष	59/93 जी0आर0 सं0-542/93		व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 148, 149 भा0द0वि0 जेल अवधि-19 दिन।	
10	आवेदक-पदमा देवी (आश्रित पत्नी), पति-स्व0 तीरथ उर्फ तीरथ बेदिया, (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-घुटुवा, पोस्ट-नया नगर बड़काकाना, थाना-पतरातू , प्रखण्ड-पतरातू , लिंगमहिला	पतरातू थाना काण्ड सं0 59/93 जी0आर0 सं0-542/93	नही	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को झारखण्ड बंदी के तिथि को विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 148, 149 भा0द0वि0 जेल अवधि-19 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
11	आवेदक-ललन मांझी, पिता-स्व0 मनुराम मांझी उर्फ मनु मांझी, ग्राम-पुण्डी, पोस्ट- हेसागढ़ा, थाना-माण्डू , प्रखण्ड-माण्डू , लिंगपुरुष	माण्डू थाना काण्ड सं0 79/93	पृष्ठ-93 क्र0- 03(5)	कारण:- दि0-15.03.1993 को झारखण्ड बंद के दिन विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 148, 149 भा0द0वि0 जेल अवधि-01 माह 03 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)

12	आवेदक-राजेश कुमार सिंह, पिता-चन्द्रमा सिंह, ग्राम-सी0सी0एल0 सौंदा, पोस्ट-सी0सी0एल0 सौंदा, थाना-भुरकुण्डा, प्रखण्ड-पतरातू, लिंगपुर	भुरकुण्डा थाना काण्ड सं0 62/93 जी0आर0 560/93	नहीं	कारण:- दि0-19.03.1993 को आर्थिक नाकेबंदी के दौरान आन्दोलन समर्थक युवकों द्वारा विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-3/4 विस्फोटक पदार्थ अधि0 जेल अवधि-01 माह 09 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
13	आवेदक-जतरू महतो, पिता-स्व0 हरि महतो, ग्राम-बड़काचुम्बा, पोस्ट-बड़काचुम्बा, थाना-गिददी ए0, प्रखण्ड-माण्डू, लिंगपुर	अनु0 दण्डा0 सदर हजारीबाग वाद सं0 721/98	नहीं	कारण:- दिनांक- 17.12.1998 को झारखण्ड बंद की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 151 द0प्र0स0 जेल अवधि:-02 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
14	आवेदक-मोहन किस्कु, पिता-स्व0 छोटका मांझी, ग्राम-चिराटोंगरी, पोस्ट-घाटोटांड़, थाना-माण्डू, प्रखण्ड-माण्डू, लिंगपुर	अनु0 दण्डा0 रामगढ़ वाद सं0 366/93	नहीं	कारण:- दिनांक- 22.09.1993 को झारखण्ड बंद की तिथि को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/ 113/109 द0प्र0स0	कंडिका 2(viii) (a)

				जेल अवधि:-10 दिन।	
15	आवेदक-जर्नादन पाठक, पिता-स्व० अर्जुन पाठक, ग्राम-गोला , पोस्ट-गोला, थाना-गोला, प्रखण्ड-गोला, लिंग पुरुष	अनु० दण्डा० रामगढ़ वाद सं० 363/93	नहीं	कारण:- दिनांक 15.09.1993 को आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/113 द०प्र०स० जेल अवधि-07 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
16	आवेदक-रमन महतो, पिता-केतर महतो, ग्राम-पुण्डी, पोस्ट-हेसागढ़ा, थाना-माण्डू , प्रखण्ड-माण्डू, लिंग पुरुष	अनु० दण्डा० सदर हजारीबाग वाद सं० 721/98	नहीं	कारण:- दिनांक- 17.12.1998 को झारखण्ड बंद के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 151 द०प्र०स० जेल अवधि-02 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
17	आवेदक-कुन्ती देवी (आश्रित पत्नी), पति-स्व० प्रेमलाल महतो उर्फ प्रेमचन्द महतो (मूल आन्दोलनकारी), ग्राम-पुण्डी, पोस्ट-हेसागढ़ा,	अनु० दण्डा० सदर हजारीबाग वाद सं० 721/98	नहीं	कारण:- दिनांक- 17.12.1998 को झारखण्ड बंद के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/151 द०प्र०स०	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी),

	थाना-माण्डू , प्रखण्ड-माण्डू, लिंगमहिला			जेल अवधि-02 दिन।	
18	आवेदक-करमा मांझी, पिता-लाखो मांझी, ग्राम-पुण्डी, पोस्ट-हेसागढ़ा, थाना-माण्डू, प्रखण्ड-माण्डू, लिंगमहिला	हजारीबाग सदर (मु०) प्राथ० सं० 494/98 जीआर सं० 236/98	नही	कारण:- दिनांक 30.11.1998 को झारखण्ड बंद के दौरान आवागमन बाधित करने का आरोप। धारा- 224 भा०द०वि० जेल अवधि-01 माह 12 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
19	आवेदक-पानपती देवी (आश्रित पत्नी), पति-स्व० शिकारी मांझी (मूल आन्दोलनकारी), ग्राम-बेहराटांड साण्डी, पोस्ट-साण्डी, थाना-माण्डू , प्रखण्ड-माण्डू, लिंगमहिला	माण्डू थाना काण्ड सं० 85/93	नही	कारण:-दिनांक 20.03.1993 को आर्थिक नाकेबंदी में नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैश होकर जान मारने की नियत सेट्रक में खलासी ड्राइवर को बंद कर मारपीट कर जखमी करना तथा आग लगाने का आरोप। धारा- 147/148/307 भा०द०वि० जेल अवधि-1 माह 2 दिन	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी),
20	आवेदक-गिरु बैठा उर्फ हीनू बैठा, पिता-रामसहाय बैठा, ग्राम-बोंगाबार,	माण्डू थाना काण्ड सं० 85/93	नही	कारण:-दिनांक 20.03.1993 को आर्थिक नाकेबंदी में नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैश होकर जान मारने की नियत सेट्रक	कंडिका 2(viii) (a)

	पोस्ट-भरेचनगर, थाना-माण्डू, प्रखण्ड-माण्डू, लिंगपुर			में खलासी ड्राइवर को बंद कर मारपीट कर जखमी करना तथा आग लगाने का आरोप। धारा- 147/148/307 भा0द0वि0 जेल अवधि-1 माह 2 दिन	
21	आवेदक-झुनीबाला देवी (आश्रित पत्नी), पति-स्व0 अन्तु उर्फ अनंत महतो (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम-डीमरा, पोस्ट-सोनडीमरा, थाना-बरलंगा, प्रखण्ड-गोला, लिंगमहिला	सदर हजारीबाग अनु0 वाद सं0 361/83	नही	कारण:- दिनांक 12.05.1983 को झारखण्ड मुक्ति मोर्चा द्वारा आहूत जेल भरो अभियान के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 113, 151 द0प्र0स0 जेल की अवधि-01 दिन	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी),
22	आवेदक-नवल किशोर महतो उर्फ नवल महतो, पिता-स्व0 कार्तिक महतो, ग्राम-आरा बस्ती बघलता, पोस्ट-सारुबेडा, थाना- माण्डू, प्रखण्ड-माण्डू, लिंगपुर	कुजू ओपी अप्राथ0 सं0 45/98 अनु0 दण्डा0, रामगढ़ वाद सं0 291/98	नही	कारण:- संसद के चालू सत्र में झारखण्ड/वनांचल बिल नहीं पारित करने के संदर्भ में दि. 16.12.1998 से 19.12.1998 तक विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116(iii) द.प्र.स. पार्टी:-वाम जनवादी/झा0 राज्य एकता मंच	कंडिका 2(ix)

23	आवेदक- पैरो देवी (आश्रित पत्नी), पति-स्व० कार्तिक महतो (मूल आन्दोलनकारी), ग्राम-आरा बस्ती बघलता, पोस्ट-सारुबेड़ा, थाना- माण्डू, प्रखण्ड-माण्डू, लिंग महिला	कुजू ओपी अप्राथ० सं० 45/98 अनु० दण्डा०, रामगढ़ वाद सं० 291/98	नहीं	कारण:- संसद के चालू सत्र में झारखण्ड/वनांचल बिल नहीं पारित करने के संदर्भ में दि. 16.12.1998 से 19.12.1998 तक विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116(iii) द.प्र.स.	कंडिका 2(ix) (आश्रित पत्नी),
24	आवेदक-अफजल मियां, पिता-हाजी सबुर मियां, ग्राम-आरा डुमरबेड़ा, पोस्ट-सारुबेड़ा, थाना-माण्डू , प्रखण्ड-माण्डू, लिंगपुरुष	कुजू ओपी अप्राथ० सं० 45/98 अनु० दण्डा०, रामगढ़ वाद सं० 291/98	नहीं	कारण:- संसद के चालू सत्र में झारखण्ड/वनांचल बिल नहीं पारित करने के संदर्भ में दि. 16.12.1998 से 19.12.1998 तक विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116(iii) द.प्र.स.	कंडिका 2(ix)
25	आवेदक-कुलदीप बेदिया, पिता- स्व० भिखु बेदिया, ग्राम-कंजगी, पोस्ट-बड़का चुम्बा, थाना-गिद्दी ए०, प्रखण्ड-माण्डू , लिंगपुरुष	गिद्दी थाना काण्ड सं० 26/93 जी०आर० सं० 559/93	नहीं	कारण:- दि०-18.03.1993 को झारखण्ड समथकों द्वारा आर्थिक नाकेबंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 435, 427 भा०द०वि०	कंडिका 2(ix)
26	आवेदक-हीरा गोप, पिता- स्व० मुन्ना गोप,	गिद्दी थाना काण्ड सं०	नहीं	कारण:- दि०-18.03.1993 को झारखण्ड समथकों द्वारा	कंडिका

	ग्राम-बुजुर्ग जमीरा, पोस्ट-बड़काकाना, थाना-पतरातू , प्रखण्ड-पतरातू , लिंग- पुरुष	26/93 जी0आर0 सं0 559/93		आर्थिक नाकेबंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 435, 427 भा0द0वि0	2(ix)
27	आवेदक-हीरालाल सिंह उर्फ हिरा सिंह पिता- शिवनन्दन सिंह ग्राम- मंझीला चुम्बा, पोस्ट-बड़का चुम्बा, थाना-गिद्दी ए0, प्रखण्ड-माण्डू, लिंग-पुरुष	गिद्दी थाना काण्ड सं0 26/93 जी0आर0 सं0 559/93	नही	कारण:- दि0-18.03.1993 को झारखण्ड समथकों द्वारा आर्थिक नाकेबंदी के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 435, 427 भा0द0वि0	कंडिका 2(ix)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या-14/विविध-05/2023- 3810--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

जिला:- राँची

क्र0	आंदोलनकारी की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प
------	----------------------	------------------	---	------------------------------------	---

			अथवा नही		संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-परसुराम मुण्डा, पिता-लगना मुण्डा उर्फ ललन मुण्डा, ग्राम-पिपरा बन्डा, पोस्ट-हेन्देबिल्ली, थाना-ओरमांड़ी, प्रखण्ड-ओरमांड़ी, लिंगपुर	राँची अनु० दण्डावाद सं० एम 331/93	नही	कारण:-दिनांक 15.03.1993 को अलग झारखण्ड मांग करने के कारण विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/151 द०प्र०स० जेल की अवधि:-01 माह।	कंडिका 2(viii) (a)
2	आवेदक-शुभेन्दु सेन, पिता-स्व० ब्रम्हानन्द सेन, ग्राम-99 बी० महेन्द्र सिंह भवन, चर्चरोड, राँची, पोस्ट-जी०पी०ओ०, थाना-लोअरबजार, प्रखण्ड-सदर, लिंगपुर	अनु० दण्डा० लोहरदगा वाद संख्या एम० 254/89	नही	कारण:-दिनांक-10.06.1989 को झारखण्ड बंद के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 148 भा०द०वि० जेल अवधि:-01 दिन।	कंडिका 2(viii) (a)
3	आवेदक-नीलमणी तिकी उर्फ नीलू कुमारी, पिता-अन्थोनी एक्का, पति-सुनील तिकी, ग्राम-बसारटोली चर्च रोड, पोस्ट-चर्च रोड, थाना-लोअर बजार, प्रखण्ड-सदर राँची, लिंगमहिला	अनु० दण्डा० लोहरदगा वाद संख्या एम०159/89	नही	कारण:-दिनांक-21.04.1989 को झारखण्ड बंद के दौरान जबरदस्ती वाहन रोकने एवं दुकान बंद कराने तथा सरकार के विरुद्ध नारे बाजी करने के आरोप। धारा-151 द०प्र०स० जेल की अवधि-01 दिन	कंडिका 2(viii) (a)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या-14/विविध-05/2023- 3810--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

जिला:- सरायकेला सरसावाँ

क्र०	आंदोलनकारी की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या-1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-दुर्गा गोप, पिता-जेठु गोप उर्फ जे० गोप, ग्राम-बांदू, पोस्ट-जुगीलौंग, थाना-नीमडीह , प्रखण्ड-नीमडीह, लिंग-पुरुष	बिष्टपुर थाना अप्राथ० सं० 07/93, अनु० दण्डा० धालभूम मिसवाद सं० 288/93	नहीं	कारण:-दिनांक-15.03.1993 को झारखण्ड बंद एवं दि०-16.03.1993 से अनिश्चित कालीन आर्थिक नाके बंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116 दं०प्र०सं० जेल की अवधि:-11 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
2	आवेदक-अशोक महतो, पिता-स्व० हरिपद महतो, ग्राम-रघुनाथपुर, पोस्ट-मुण्डाटांड,	बड़बिल थाना काण्ड सं० 33/88 जीआर सं०	नहीं	कारण:- दिनांक 02.04.1988 को नाजायज मजमा बनाकर उत्तेजात्मक नारा लगाना, वृहत झारखण्ड की मांग को लेकर	कंडिका 2(viii) (a)

थाना-सरायकेला, प्रखण्ड-सरायकेला, लिंग-पुरुष	100/88		धमकी देने का आरोप। धारा:-143/188/153 भा0द0वि0 जेल अवधि-08 दिन।	
---	--------	--	---	--

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या-14/विविध-05/2023- 3810--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

जिला:- पश्चिमी सिंहभूम

क्र0	आंदोलनकारी की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	झारखण्ड आन्दोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	आवेदक-बुधन सिंह जामुदा उर्फ डेके जामुदा, पिता-स्व0 तुलसी जामुदा उर्फ धनरस जामुदा,	जी0आर सं0 801/89	नहीं	कारण-आजसू द्वारा “नो झारखण्ड नोइलेक्शन” के दौरान चुनाव बहिष्कार करने का आरोप।	कंडिका 2(viii) (a)

	ग्राम-बैंका, पोस्ट-चैनपुर, थाना-मुफ्फसिल, प्रखण्ड-खुंटपानी, लिंगपुर			धारा-147/148/336 भा0द0वि0 जेल की अवधि-16 दिन	
2	आवेदक-रूपसिंह होनहागा, पिता-स्व0 राउतु होनहागा, ग्राम-कोटसोना, पोस्ट-चिरुबेडा, थाना-चाईबासा (मु0), प्रखण्ड-खुंटपानी, लिंगपुर	जी0आर सं0 801/89	नही	कारण:-दिनांक 15.09.1992 को आजसू कार्यकर्ताओं द्वारा झारखण्ड बंदी की तिथि को विधि- व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147/148/336 भा0द0वि0 जेल की अवधि-16 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
3	आवेदक-टुपरा सिं कु, पिता-स्व0 सोवन सिं कु, ग्राम-जिन्तुगाड़ा, पोस्ट-जगन्नाथपुर, थाना-जगन्नाथपुर, प्रखण्ड-जगन्नाथपुर, लिंगपुर	जोडा थाना काण्ड सं0 113/92 जीआर सं0 133/92	नही	कारण:-दिनांक 15.09.1992 को आजसू कार्यकर्ताओं द्वारा झारखण्ड बंदी की तिथि को विधि- व्यवस्थाभंग करने का आरोप। धारा-147/148/336 भा0द0वि0 जेल की अवधि-01 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
4	आवेदक-किशोर सिं कु, पिता-स्व0 माटा सिं कु, ग्राम-कंसलापोस (टोला) मैरामसाई, पोस्ट-जगन्नाथपुर, थाना-जगन्नाथपुर,	जोडा थाना काण्ड सं0 113/92 जीआर सं0 133/92	नही	कारण:-दिनांक 15.09.1992 को आजसू कार्यकर्ताओं द्वारा झारखण्ड बंदी की तिथि को विधि- व्यवस्थाभंग करने का आरोप।	कंडिका 2(viii) (a)

	प्रखण्ड-जगन्नाथपुर, लिंगपुर			धारा-147/148/336 भा0द0वि0 जेल की अवधि-01 दिन	
5	आवेदक-कृष्ण चन्द्र सिंह, पिता-स्व0 भरत भूषण सिंह, ग्राम-जैरपी, पोस्ट-हाटगम्हरिया, थाना-हाटगम्हरिया, प्रखण्ड-हाटगम्हरिया, लिंगपुर	जोडा थाना काण्ड सं0 113/92 जीआर सं0 133/92	नहीं	कारण:-दिनांक 15.09.1992 को आजसू कार्यकर्ताओं द्वारा झारखण्ड बंदी की तिथि को विधि- व्यवस्थाभंग करने का आरोप। धारा-147/148/336 भा0द0वि0 जेल की अवधि-01 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
6	आवेदक-सोमनाथ लागुरी, पिता-स्व0 गोमो लागुरी, ग्राम-सेलदौरी, पोस्ट-जगन्नाथपुर, थाना-जेटेया, प्रखण्ड-नोवामुण्डी, लिंगपुर	जोडा थाना काण्ड सं0 113/92 जीआर सं0 133/92	नहीं	कारण:-दिनांक 15.09.1992 को आजसू कार्यकर्ताओं द्वारा झारखण्ड बंदी की तिथि को विधि- व्यवस्थाभंग करने का आरोप। धारा-147/148/336 भा0द0वि0 जेल की अवधि-01 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
7	आवेदक-हिरामुनीहुराट (आश्रित पत्नी), पति-स्व0 जीवन हुराट (मूल आन्दोलनकारी), ग्राम-तोड़तोपा, पोस्ट-नोवामुण्डी, थाना-नोवामुण्डी, प्रखण्ड-नोवामुण्डी,	नोवामुण्डी थाना काण्ड सं0 15/89 जी0आर0 सं0 336/89 नोवामुण्डी थाना	पृ0सं0- 13 क्र0- 13(4) पृ0सं0- 96 क्र0-2(6)	कारण-दिनांक-20.04.1989 को झारखण्ड बंद के दौरान विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-144, 336 भा0द0वि0 जेल की अवधि-01 माह 08 दिन	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)

	लिंगमहिला	काण्ड सं० 14/89 जी०आर सं० 237/89			
8	आवेदक-एलिसबा नाग (आश्रित पुत्री), पिता-स्व० मोरामुण्डा (मूल आन्दोलनकारी), ग्राम-डारोंग, पोस्ट-हेसाडीह, थाना-बन्दगांव, प्रखण्ड-बन्दगांव, लिंगमहिला	गुवाथाना काण्ड संख्या 09/80	पृ०सं०- 03 क्र०सं०- 7(16)	कारण:- दि० 08.09.1980 को नाजायज मजमा बनाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147/148/149 भा०द०वि० जेलअवधि-01 दिन	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पुत्री),
9	आवेदक-कृष्णा चन्द्र नायक, पिता-स्व० पिताम्बर नायक, ग्राम-महुदीटोला, तोडेतोपा, पोस्ट-नोवामुण्डी, थाना-नोवामुण्डी, प्रखण्ड-नोवामुण्डी लिंगपुरुष	नोवामुण्डीथाना अप्राथ० सं० 39/89 अनु०दण्डा० सदर चाईबासामिस केस सं० 411/89	नही	कारण-आजसू के सदस्य द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने का आरोप। धारा-107 द०प्र०स० जेल की अवधि-04 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
10	आवेदक-जाण्डोय सिंह पुर्ती उर्फ सुदर्शन पुर्ति, पिता-स्व० मानकी पुर्ती, ग्राम-पदमपुर, पोस्ट-झरझरा, थाना-टोकलो, प्रखण्ड-चक्रधरपुर, लिंगपुरुष	चाईबासा मुफ्फसिल थाना काण्ड सं० 24/93 जी०आर सं० 158/93	नही	कारण-दिनांक-21.03.1993 को झारखण्ड बंदी के दौरान रेलवे लाईन को क्षतिग्रस्त करने का आरोप। धारा-427, 120(बी०) भा०द०वि०	कंडिका 2(ix)
11	आवेदक-सुखलाल कुंकल, पिता-स्व० अभिराम कुंकल,	चाईबासा मुफ्फसिल थाना काण्ड	नही	कारण-दिनांक-21.03.1993 को झारखण्ड बंदी के दौरान रेलवे लाईन को क्षतिग्रस्त	कंडिका 2(ix)

ग्राम-गितिलपी, पोस्ट-गितिलपी, थाना-मंझारी, प्रखण्ड-मंझारी, लिंगपुर	सं० 24/93 जी०आर सं० 158/93		करने का आरोप। धारा-427, 120(बी०) भा०द०वि०	
--	-------------------------------------	--	---	--

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

8 जून, 2022

संख्या-10/विविध-1011/2018-2284--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है ।

2. आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग से प्राप्त प्रथम संपुष्ट सूची प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए **अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015** एवं **सप्तम संपुष्ट सूची के आलोक में अधिसूचना संख्या-3840, दिनांक- 11.07.2018** द्वारा अधिसूचित किया गया है ।

3. उक्त विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों के **आश्रितों का लाभ देने संबंधी** प्रतिवेदन चिन्हितकरण आयोग के पत्रांक-3894, दिनांक-17.02.2022 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों के आश्रितों का लाभ देने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी ।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी के आश्रित की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन, उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा ।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी/आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके ।

6. संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आश्रित को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा

तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए यह दिनांक-01.08.2015 अथवा आन्दोलनकारी की मृत्यु जो बाद में हो, की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

8 जून, 2022

अधिसूचना संख्या-10/विविध-1011/2018-2284--गृह विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों की सूची:-

क्र०	नाम एवं पता	पूर्व का वर्गीकरण	आश्रित को लाभ देने का आधार	संकल्प सं.- 1938 दिनांक- 20.04.21 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण
1	नाम-जीरावाला मुदी (पत्नी) पति- स्व. सनातन मुदी (मोदी) ग्राम - गेगांडा पोस्ट - काशमार थाना - कमलपुर प्रखण्ड- पटमदा जिला - पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं.- 3840, दि.- 11.07.18 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 03	अंचल अधिकारी पटमदा का पत्रांक-710, दिनांक- 11.09.2021 1. आश्रित पत्नी जीवित है।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
2	नाम-मसो. सुनीति सुधा तिकी (पत्नी) पति- स्व. दीपक मिंज ग्राम - गितिलवापी पोस्ट - आजादनगर	अधिसूचना सं.- 4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी,	अंचल अधिकारी, मानगो का पत्रांक-137, दिनांक- 07.02.2022 1. आश्रित पत्नी जीवित है।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)

	थाना - मानगो प्रखण्ड- जमशेदपुर जिला - पूर्वी सिंहभूम	कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 64		
3	नाम-मसो. काजल हेम्ब्रम (पत्नी) पति- स्व. सनातन हेम्ब्रम ग्राम - मांगडोशोल पोस्ट - बेनाशोली थाना - बड़शोल प्रखण्ड- बहरागोडा जिला - पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं.- 4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 97	अंचल अधिकारी, मानगो का पत्रांक-864, दिनांक- 11.12.2021 1. आश्रित पत्नी जीवित है।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
4	नाम-मसो. अपर्णा देवी (पत्नी) पति- स्व. काली प्रसाद चक्रवर्ती ग्राम - बरियातु पोस्ट - बरियातु थाना - गोला प्रखण्ड- गोला जिला - रामगढ़	अधिसूचना सं.- 4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 27	अंचल अधिकारी, गोला (रामगढ़) का पत्रांक-84, दिनांक-21.01.2022 1. आश्रित पत्नी जीवित है।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
5	नाम-मसो. कुसूम कुमारी (पत्नी) पति- स्व. लक्ष्मण उराँव ग्राम - काँजो पोस्ट - बड़ागाई थाना - भण्डरा प्रखण्ड- भण्डरा जिला - लोहरदगा	अधिसूचना सं.- 4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 09	अंचल अधिकारी का पत्रांक-45, दिनांक- 07.02.2022 1. आश्रित पत्नी जीवित है।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
6	नाम-शकुन्तला कुमारी (पुत्री) पिता- स्व. जल्हा मुण्डा (मूल आंदोलनकारी) ग्राम - बनसरी	अधिसूचना सं.- 4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी,	अंचल अधिकारी, सेन्हा का पत्रांक-24, दिनांक- 21.01.2020 1 आश्रित अविवाहित पुत्री	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पुत्री)

	पोस्ट - सेन्हा थाना - सेन्हा प्रखण्ड- सेन्हा जिला - लोहरदगा	कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 46	शकुन्तला कुमारी का आवेदन आयोग को प्राप्त है। 2. आश्रित पत्नी जीवित है, जिसका भरण-पोषण शकुन्तला कुमारी करती है। 3. अन्य आश्रित बाहर रहते हैं, इसलिए अनापत्ति अप्राप्त है।	
7	नाम-जोसेफ सोरेन (पुत्र) पिता- स्व. पोरेस सोरेन ग्राम - जयताड़ा पोस्ट - हरिपुर थाना - रानेश्वर प्रखण्ड- रानेश्वर जिला - दुमका	अधिसूचना सं.- 4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 81	अंचल अधिकारी, रानेश्वर का पत्रांक-884, दिनांक-04.10.2021 1. आश्रित पत्नी जीवित है। 2. आश्रित पत्नी मसो. सबरी टुडु द्वारा अपने पुत्र जोसेफ सोरेन को आश्रित नामित करने हेतु अनापत्ति प्रदान किया गया है।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पुत्र)
8	नाम-मसो. भादु देवी (पत्नी) पति- स्व. राजेन्द्र महतो ग्राम - पारटाँड पोस्ट - कुरा थाना - पिण्डाजोरा प्रखण्ड- चास जिला - बोकारो	अधिसूचना सं.- 4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 37	अंचल अधिकारी, चास का पत्रांक-251, दिनांक- 07.02.2022 1. आश्रित पत्नी जीवित है।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)

ह0/-

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

17 अगस्त, 2022

सं०-10/विविध-1011/2018 (खण्ड-I)-3328--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों/आश्रितों को सम्मानित करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है ।

2. आंदोलनकारियों/आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग से प्राप्त प्रथम संपुष्ट के सूची प्रतिवेदन के आलोक में अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015, द्वितीय व चतुर्थ संपुष्ट सूचियों के प्रतिवेदन के आलोक में 5275, दिनांक-22.09.2017, षष्ठम संपुष्ट सूची के आलोक में 6109, दिनांक-10.11.2017, सप्तम संपुष्ट सूची के आलोक में 3840, दिनांक- 11.07.2018, दशम संपुष्ट सूची के आलोक में 4987, दिनांक-18.09.2019 एवं द्वादश संपुष्ट सूची के आलोक में 417, दिनांक-22.01.2020 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचित किया गया है ।

3. विभागीय उक्त अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों में से 18 (अठारह) आंदोलनकारियों के देहावसान के पश्चात उनके आश्रितों का लाभ देने संबंधी प्रस्ताव/प्रतिवेदन चिन्हितकरण आयोग के पत्रांक-4229, दिनांक-23.05.2022 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न सूची के अनुसार पूर्व चिन्हित आंदोलनकारियों (वर्तमान में मृत) के आश्रितों को लाभ देने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों के आश्रितों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनके वर्गीकरण के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी ।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी के आश्रित की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा ।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी के आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके ।

6. संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आश्रित को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 अथवा आन्दोलनकारी की

मृत्यु की तिथि, जो भी बाद में हो, की तिथि से देय होगा तथा विभागीय संकल्प सं०-2108, दिनांक- 07.05.2012 के तहत इससे पूर्व की अवधि के लिए यह दिनांक- 01.08.2015 अथवा आन्दोलनकारी की मृत्यु की तिथि, जो भी बाद में हो, की तिथि से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

चिन्हित आंदोलनकारियों के मृत्युपरान्त नामित किये जाने वाले आश्रितों की जिलावार

विवरणी:-

क्र०	जिला का नाम	चिन्हित आंदोलनकारी
1	चतरा	01
2	देवघर	01
3	धनबाद	02
4	पूर्वी सिंहभूम	02
5	गिरिडीह	02
6	हजारीबाग	04
7	लोहरदगा	03
8	राँची	02
9	पश्चिमी सिंहभूम	01
कुल:-		18

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

----- अधिसूचना

17 अगस्त, 2022

अधिसूचना संख्या-10/विविध-1011/2018 (खण्ड-I)-3328,--गृह विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों की सूची:-

क्र०	नाम एवं पता	पूर्व का वर्गीकरण	आश्रित को लाभ देने का आधार	संकल्प सं.-1938 दिनांक-20.04.21 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण
1	नाम- मसो. आशमा खातुन (आश्रित पत्नी) पति- स्व. सलीम जावेद (आंदोलनकारी) ग्राम - वार्ड नंबर-16, लाईन मुहल्ला, पोस्ट/थाना -चतरा, जिला - चतरा	अधिसूचना सं.-4920 दि.-10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) चतरा जिला क्रमांक-02	अंचलाधिकारी, चतरा (सदर) का पत्रांक-300, दिनांक-12.03.2022 से प्राप्त आश्रित का प्रतिवेदन एवं वंशावली। 2. स्व. सलीम जावेद का मृत्यु प्रमाण पत्र।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
2	नाम-मसो. लोको हाँसदा (आश्रित पत्नी) पति- स्व. बहादुर मुर्मू (आंदोलनकारी) ग्राम - बादलाडीह, पोस्ट/थाना - जसीडीह, जिला - देवघर	अधिसूचना सं.-4920 दि.-10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) देवघर जिला क्रमांक-10	अंचल अधिकारी, देवघर का पत्रांक-97, दिनांक-25.06.2018 द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 2. स्व. बहादुर मुर्मू का मृत्यु प्रमाण पत्र।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
3	नाम-मसो. उर्मिला देवी (आश्रित पत्नी) पति- स्व. धनेश्वर सिंह (आंदोलनकारी) ग्राम - डोमनपुर, पोस्ट - बागदाहा, थाना - कतरास, राजगंज जिला - धनबाद	अधिसूचना सं.-4920 दि.-10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) धनबाद जिला क्रमांक-50	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तोपचांची के पत्रांक-30, दिनांक-20.01.2020 द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 2. स्व. धनेश्वर सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
4	नाम-मसो. सपना देवी	अधिसूचना सं.-4987,	प्रखण्ड विकास	कंडिका

	(आश्रित पत्नी) पति- स्व. पन्ना लाल महतो (आंदोलनकारी) ग्राम - मानटाड़, पोस्ट/थाना - तोपचांची, जिला - धनबाद	दि.-18.9.19 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) धनबाद जिला क्रमांक-33	पदाधिकारी, तोपचांची के पत्रांक-75, दिनांक- 01.10.2020 द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 2. स्व. पन्ना लाल महतो का मृत्यु प्रमाण पत्र। 3. आवेदिका द्वारा आश्रित पत्नी होने से संबंधित शपथ पत्र।	2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
5	नाम- मसो. पुनीता सोरेन उर्फ पुन्ता सोरेन (आश्रित पत्नी) पति- स्व. दुर्गा सोरेन (आंदोलनकारी) ग्राम - दुधपुसी, पोस्ट-रावताड़ा, थाना-धालभूमगढ़, जिला - पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं.-4920 दि.-10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) तदुपरांत कंडिका- 3(ख) (संशोधित) पूर्वी सिंहभूम जिला क्रमांक-139	अंचलाधिकारी, धालभूमगढ़ के पत्रांक-831, दिनांक- 10.12.2021 के द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 2. स्व. दुर्गा सोरेन का मृत्यु प्रमाण पत्र।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
6	नाम- मसो. तुष्टो महतो (आश्रित पत्नी) पति- स्व. ईश्वर महतो (आंदोलनकारी) ग्राम - गेगांडा, पोस्ट-बांगुड़दा, थाना-कमलपुर, जिला - पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं.-3840, दि.-11.07.18 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) पूर्वी सिंहभूम जिला क्रमांक-02	अंचलाधिकारी, पटमदा के पत्रांक-10, दिनांक- 22.04.2021 के द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 2. स्व. ईश्वर महतो का मृत्यु प्रमाण पत्र।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
7	नाम- मसो. बरकी देवी (आश्रित पत्नी) पति- स्व. सोनालाल मरांडी (आंदोलनकारी) ग्राम - रूकोटांड, टोला सलैया, पोस्ट/थाना-गाण्डेय, जिला - गिरिडीह	अधिसूचना सं.-4920 दि.-10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) गिरिडीह जिला क्रमांक-51	1.अंचलाधिकारी, गाण्डेय, गिरिडीह के पत्रांक-41, दिनांक-03.07.2021 के द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 2. आवेदिका द्वारा आश्रित पत्नी होने से संबंधित शपथ पत्र। 3. स्व. सोनालाल मरांडी	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)

			का मृत्यु प्रमाण पत्र।	
8	नाम- मसो. लालमुनी देवी (आश्रित पत्नी) पति- स्व. बुधन किस्कू (आंदोलनकारी) ग्राम - भलपहरी, पोस्ट/थाना-अहिल्यापुर, जिला - गिरिडीह	अधिसूचना सं.-4920 दि.-10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) गिरिडीह जिला क्रमांक-55	1. अंचलाधिकारी, गाण्डेय, गिरिडीह के पत्रांक-55, दिनांक-18.08.2021 के द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 2. आवेदिका द्वारा आश्रित पत्नी होने से संबंधित शपथ पत्र। 3. स्व. बुधन किस्कू का मृत्यु प्रमाण पत्र।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
9	नाम- मसो. सुमन सिंह (आश्रित पत्नी) पति- स्व. त्रिपुरारी सिंह (आंदोलनकारी) ग्राम - कदमा, पोस्ट- कदमा, थाना- कटकमसांडी, जिला -हजारीबाग	अधिसूचना सं.-4920 दि.-10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) हजारीबाग जिला क्रमांक-09	1. अंचलाधिकारी, कटकमदाग के पत्रांक-71, दिनांक-05.08.2021 से निर्गत पारिवारिक वंशावली। 2. स्व. त्रिपुरारी सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
10	नाम- मसो. योगिता देवी (आश्रित पत्नी) पति- स्व. गुजर महतो, (आंदोलनकारी) ग्राम - सरवाहा, पोस्ट- चरही, थाना- माण्डू, जिला -हजारीबाग	अधिसूचना सं.-4920 दि.-10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) हजारीबाग जिला क्रमांक-17	1. अंचलाधिकारी, चुरचु के पत्रांक-72, दिनांक-27.07.2017 से निर्गत पारिवारिक वंशावली। 2. स्व. गुजर महतो का मृत्यु प्रमाण पत्र।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
11	नाम- गुप्ता कुमार सोरेन (आश्रित पुत्र) पिता- स्व. राजकपुर सोरेन उर्फ राजकपुर मांझी (आंदोलनकारी) ग्राम - पोटंगा, भुरकुण्डा (रसका टोला) पोस्ट- गोसाई बलिया थाना- बड़कागांव जिला -हजारीबाग	अधिसूचना सं.-5275, दि.-22.09.17 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) हजारीबाग जिला क्रमांक-27	1. अंचलाधिकारी, बड़कागांव के पत्रांक-90, दिनांक-23.10.2017 से निर्गत पारिवारिक वंशावली प्रमाण पत्र। 2. स्व. राजकपुर सोरेन एवं उनकी पत्नी स्व. रायवा देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र। 3. आवेदक द्वारा आश्रित पुत्र होने से संबंधित शपथ	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पुत्र)

			पत्र।	
12	नाम- मसो. तुलसी देवी (आश्रित पत्नी) पति- स्व. नारायण साव, (आंदोलनकारी) ग्राम - पोटंगा, पोस्ट- गोसाई बलिया, थाना- बड़कागांव, जिला -हजारीबाग	अधिसूचना सं.-5275, दि.-22.09.17 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) हजारीबाग जिला क्रमांक-44	1. अंचलाधिकारी, बड़कागांव के पत्रांक-124, दिनांक-08.11.2019 से निर्गत पारिवारिक वंशावली। 2. स्व. नारायण साव का मृत्यु प्रमाण पत्र।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
13	नाम- मसो. शारदा भगत (आश्रित पत्नी) पति- स्व. जोखन भगत (आंदोलनकारी), ग्राम - दुन्दरू चपाल, पोस्ट- दुन्दरू, थाना- सेनहा, जिला -लोहरदगा	अधिसूचना सं.-4920 दि.-10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) लोहरदगा जिला क्रमांक-16	1. अंचलाधिकारी, पेशरार, लोहरदगा के पत्रांक-59, दिनांक-01.02.2022 के द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 2. स्व. जोखन भगत का मृत्यु प्रमाण पत्र।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
14	नाम- मसो. सावित्री मिंज (आश्रित पत्नी) पति- स्व. रोशन मिंज, (आंदोलनकारी) ग्राम - हेसल, मंगनटोली पोस्ट- कुर्से, थाना- लोहरदगा, जिला -लोहरदगा	अधिसूचना सं.-4920 दि.-10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) लोहरदगा जिला क्रमांक-31	1. अंचलाधिकारी, लोहरदगा के पत्रांक-07, दिनांक-06.01.2022 के द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 2. स्व. रोशन मिंज का मृत्यु प्रमाण पत्र। 3. आवेदिका द्वारा आश्रित पत्नी होने से संबंधित शपथ पत्र।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
15	नाम- मसो. प्रतिमा देवी (आश्रित पत्नी) पति- स्व. शिव कुमार भारती, (आंदोलनकारी) ग्राम - डोरो टोली, कुड़, पोस्ट- कुड़, थाना- कुड़, जिला -लोहरदगा	अधिसूचना सं.-417, दि.-22.01.20 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) लोहरदगा जिला क्रमांक-03	1. अंचलाधिकारी, कुड़, लोहरदगा के पत्रांक-140, दिनांक-01.10.2021 के द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 2. स्व. शिव कुमार भारती का मृत्यु प्रमाण पत्र।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
16	नाम- मसो. आशा तिर्की	अधिसूचना सं.-5275,	1. अंचलाधिकारी, बेड़ो,	कंडिका

	(आश्रित पत्नी) पति- स्व. फुलचन्द तिर्की, (आंदोलनकारी) ग्राम - कुदारखो, पोस्ट- खत्री खटंगा, थाना- बेडो, जिला -राँची	दि.-22.09.17 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) तदुपरांत कंडिका- 3(क) (संशोधित) राँची जिला क्रमांक- 35	राँची के पत्रांक-268, दिनांक-07.06.2019 के द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 2.आवेदिका के द्वारा आश्रित पत्नी होने से संबंधित शपथ पत्र। 3. स्व. फुलचन्द तिर्की का मृत्यु प्रमाण पत्र।	2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
17	नाम- मसो. अलका गुड़िया (आश्रित पत्नी) पति- स्व. सामुएल गुड़िया, (आंदोलनकारी) ग्राम - आनन्दपुर, पोस्ट- डोरण्डा, थाना- चुटिया, जिला -राँची	अधिसूचना सं.-5275, दि.-22.09.17 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3(क), राँची जिला क्रमांक- 07	1. अंचलाधिकारी, शहर, राँची के पत्रांक-812, दिनांक-20.12.2021 के द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 2.आवेदिका के द्वारा आश्रित पत्नी होने से संबंधित शपथ पत्र। 3. स्व. सामुएल गुड़िया का मृत्यु प्रमाण पत्र।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
18	नाम- मसो. मानी कालुन्डिया (आश्रित पत्नी) पति- स्व. सिंगराय कालुन्डिया, (आंदोलनकारी) ग्राम - रोलाडीह, पोस्ट- कोकचो, थाना- मंझारी, जिला -पश्चिमी सिंहभूम	अधिसूचना सं.-6109, दि.-10.11.17 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रमांक-10	1. अंचलाधिकारी, तांतनगर के पत्रांक-375, दिनांक-21.08.2021 के द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 2. स्व. सिंगराय कालुन्डिया का मृत्यु प्रमाण पत्र।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

14 अगस्त, 2023

संख्या-4/नि0सं0-12-22/2016 का. 4652--श्रीमती पल्लवी सिन्हा, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक 540/20) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारठ (देवघर) द्वारा उपभोग की गई अवकाश की अवधि दिनांक 5.10.2020 से 10.12.2020 तक (कुल 67 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:

- क) दिनांक 05.10.2020 से 27.11.2020 तक - उपर्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत
(कुल 54 दिन)
- ख) दिनांक 28.11.2020 से 10.12.2020 तक - असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत
(कुल 13 दिन)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2022

सं०-10/विविध-813/2022-3068--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सम्मानित करने एवं सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है ।

2. आंदोलनकारियों/आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए **अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015, 5275, दिनांक-22.09.2017, 1166, दिनांक-28.02.2019 एवं 4987, दि०-18.09.2019** द्वारा अधिसूचित किया गया ।

3. उक्त विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों/आश्रितों का कंडिका सुधार संबंधी प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के **पत्रांक-4241, दिनांक-25.05.2022** द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों की कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी ।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी/आश्रित की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी/आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके ।

6. संलग्न सूची के अनुसार संशोधित कंडिका वाले आंदोलनकारियों को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए यह दिनांक-01.08.2015 की तिथि से प्रभावी होगा ।

7. संलग्न सूची के क्रम-2 में अंकित आंदोलनकारी के आश्रित को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए यह दिनांक-01.08.2015 अथवा आन्दोलनकारी की मृत्यु जो बाद में हो, की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना
28 जुलाई, 2022

अधिसूचना संख्या-10/विविध-813/2022-3068--गृह विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

क्र०	नाम एवं पता	पूर्व का वर्गीकरण	कंडिका संशोधन करने का आधार	संकल्प सं०-1938 दिनांक-20.04.21 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण
1	श्री रेंगो उर्फ रेमो बिरुली पिता- स्व. दुराये बिरुली ग्राम - तांतनगर पोस्ट -तांतनगर थाना -मंझारी जिला - पश्चिमी सिंहभूम	अधिसूचना सं०-4987, दि०-18.09.2019 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-12	झारखण्ड आंदोलन से संबंधित मंझारी थाना काण्ड सं०-39/89, जी०आर०सं०-644/89, एस०टी०सं०-40/95 के पुलिस कागजात एवं कारा संसीमन प्रमाण पत्र के आधार पर। जेल की अवधि-04 माह	कंडिका 2(viii) (b)

			24 दिन	
2	मसो० राई पुरती (आश्रित पत्नी) पति- स्व. रोन्तो उर्फ रामचन्द्र पुरती (मूल आंदोलनकारी) ग्राम - तांतनगर पोस्ट -तांतनगर थाना -मंझारी जिला - पश्चिमी सिंहभूम	अधिसूचना सं.- 4987, दि.- 18.09.2019 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक- 13	झारखण्ड आंदोलन से संबंधित मंझारी थाना काण्ड सं.-39/89, जी०आर०सं०-644/89, एस०टी०सं०-40/95 के पुलिस कागजात एवं कारा संसीमन प्रमाण पत्र के आधार पर। जेल की अवधि-33 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
3	श्री शिवाराम उर्फ शिवा तियु पिता- स्व. मुखिया तियु ग्राम - खुन्टा पोस्ट -पन्ड्रासाली थाना -मुफ्फसिल जिला - पश्चिमी सिंहभूम	अधिसूचना सं.- 1166 दि.- 28.02.19 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक- 08	चाईबासा (मु०) थाना काण्ड सं.-63/89 से संबंधित एस०टी०सं०- 215/95 एवं एस०टी०सं०-139/98 के न्यायालय आदेश पत्रक एवं कारा संसीमन प्रमाण पत्र के आधार पर। जेल की अवधि-50 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
4	श्री राजाराम महतो पिता- स्व० महेन्द्र महतो ग्राम - लोसोदिकी पोस्ट - जोजोकुड़मा थाना - खरसावां जिला - सरायकेला- खरसावां	अधिसूचना सं.- 5275 दि.- 22.09.17 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक- 25	खरसावां थाना काण्ड सं.-10/96, जी०आर०सं०-175/96 से संबंधित कारा संसीमन प्रमाण पत्र के आधार पर। जेल की अवधि-1 माह 17 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
5	श्री मदन गोरई पिता- श्री कार्तिक गोरई ग्राम - घोड़ाबान्धा	अधिसूचना सं.- 4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित	जी०आर०सं०-659 ए/88 से संबंधित टेल्को थाना कांड सं०-90/88 का कारा संसीमन प्रमाण	कंडिका 2(viii) (a)

पोस्ट -लोहावासा थाना -गोविन्दपुर जिला -पूर्वी सिंहभूम	आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक- 153	पत्र के आधार पर जेल की अवधि-02 दिन	
---	---	---------------------------------------	--

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

13 मार्च, 2023

सं.-10/विविध-1011/2018 (खण्ड-I)-1162--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सम्मानित करने एवं सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है ।

2. आंदोलनकारियों/आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रथम संपुष्ट सूची के आलोक में अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015, द्वितीय संपुष्ट सूची के आलोक में अधिसूचना सं.-5275, दि.-22.09.2017, षष्ठम संपुष्ट सूची के आलोक में अधिसूचना सं.-6109, दिनांक-10.11.2017, सप्तम संपुष्ट सूची के आलोक में अधिसूचना सं.-3840, दि.-11.07.2018, बारहवीं संपुष्ट सूची के आलोक में अधिसूचना सं.-3112, दिनांक-18.11.2019, चौदहवीं संपुष्ट सूची के आलोक में अधिसूचना सं.-2129, दिनांक-27.05.2022 एवं पंद्रहवीं संपुष्ट सूची के आलोक में अधिसूचना सं.-3031, दिनांक-27.07.2022 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचित किया गया है ।

3. उक्त विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों के देहावसान के पश्चात उनके आश्रित नामित करने संबंधी प्रस्ताव/अनुशंसा चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक-36, दिनांक-12.01.2023 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न सूची के अनुसार पूर्व चिन्हित आंदोलनकारियों (वर्तमान में मृत) के आश्रितों को लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों के आश्रितों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनके वर्गीकरण के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी ।

क्र०	मूल आंदोलनकारी/आश्रित का नाम एवं पता	पूर्व का वर्गीकरण	आश्रित नामित करने का आधार	विभागीय संकल्प सं.-1938 दिनांक-20.04.21 के आलोक में आश्रित नामित कर प्रदत्त कंडिका तथा आयोग की अनुशंसा
1	चन्द्रमुनी देवी पति- स्व. सीताराम माँझी (आंदोलनकारी) ग्राम -खुटरी (निर्मलडीह) पोस्ट -तुपकाडीह थाना -जरीडीह प्रखण्ड- जरीडीह जिला-बोकारो	अधिसूचना सं.- 6109, दि.- 10.11.2017 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 02	अंचल अधिकारी, जरीडीह के पत्र संख्या-347, दिनांक- 28.06.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
2	बड़की देवी पति- स्व. काली चरण माँझी (हांसदा) (आंदोलनकारी) ग्राम -गोपालपुर, कुकुरतोपा पोस्ट -चिलगडा थाना -जरीडीह प्रखण्ड- जरीडीह जिला-बोकारो	अधिसूचना सं.- 3112, दि.- 18.11.2019 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 01	अंचल अधिकारी, जरीडीह के पत्र संख्या-348, दिनांक- 28.06.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
3	बसंती देवी पति- स्व. प्रदीप कुमार महतो (आंदोलनकारी) ग्राम -पेटरवार पोस्ट -पेटरवार थाना -पेटरवार प्रखण्ड- पेटरवार जिला-बोकारो	अधिसूचना सं.- 3031, दि.- 27.07.2022 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (viii) (a) जिला सूची क्रमांक-	अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्र संख्या-14, दिनांक-21.01.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)

		08		
4	अर्चना देवी पति- स्व. अजित साव (आंदोलनकारी) ग्राम -तेलीपाड़ा, हीरापुर, धनबाद पोस्ट -धनबाद थाना -धनबाद प्रखण्ड- धनबाद जिला-धनबाद	अधिसूचना सं.- 4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 अन्य जिला सूची क्रमांक- 44	अंचल अधिकारी, धनबाद के पत्र संख्या-1461, दिनांक-24.12.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(ix) (आश्रित पत्नी)
5	फुलमनी मुर्मू पति- स्व. चरण मुर्मू (आंदोलनकारी) ग्राम -पावड़ा पोस्ट -घाटशिला थाना -घाटशिला प्रखण्ड- घाटशिला जिला-पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं.- 4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 11	अंचल अधिकारी, घाटशीला के पत्र संख्या- 32, दिनांक-29.01.2020 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
6	मालती बेसरा पति- स्व. रवि बेसरा उर्फ बाद बेसरा (आंदोलनकारी) ग्राम -बड़ा काजियाँ पोस्ट -डुमरियाँ थाना - डुमरियाँ प्रखण्ड- डुमरियाँ जिला- पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं.- 4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 80	अंचल अधिकारी, डुमरियाँ के पत्र संख्या-83, दिनांक-04.12.2021 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
7	तापसी दास पति- स्व. तरूण कुमार दास (आंदोलनकारी) ग्राम -चाकुलियाँ टोला पोस्ट - चाकुलियाँ थाना - चाकुलियाँ	अधिसूचना सं.- 4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य)	अंचल अधिकारी, चाकुलियाँ के पत्र संख्या- 52, दिनांक-01.04.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)

	प्रखण्ड- चाकुलियाँ जिला- पूर्वी सिंहभूम	जिला सूची क्रमांक- 86 अधिसूचना सं.-373, दिनांक-17.01.2019 द्वारा कंडिका संशोधन संशोधित कंडिका 3(क)		
8	जबा हाँसदा पति- स्व. खुदीराम हाँसदा (आंदोलनकारी) ग्राम -बांकरकोला पोस्ट -नुतनगढ़ थाना - धालभूमगढ़ प्रखण्ड- धालभूमगढ़ जिला- पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं.- 4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2(अन्य) जिला सूची क्रमांक- 132	अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ के पत्र संख्या-419, दिनांक- 07.06.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(ix) (आश्रित पत्नी)
9	सुकुरमुनी सोरेन पति- स्व. विश्वनाथ सोरेन (आंदोलनकारी) ग्राम -धीरोल पोस्ट -धीरोल थाना - पोटका प्रखण्ड- पोटका जिला- पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं.- 3840, दि.- 11.07.2018 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 10	अंचल अधिकारी, पोटका के पत्र संख्या-424, दिनांक- 09.07.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
10	श्री शुभम स्नेही पिता- स्व. प्रशांत कुमार (आंदोलनकारी) ग्राम -बक्सरा पोस्ट -बक्सरा थाना - पोड़ैयाहाट प्रखण्ड- पोड़ैयाहाट जिला- गोड्डा	अधिसूचना सं.- 4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक- 12 अधिसूचना सं.- 5240, दिनांक-	अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्र संख्या- 105, दिनांक- 27.09.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पुत्र)

		20.09.2017 द्वारा कंडिका संशोधन संशोधित कंडिका 3(क)		
11	सुनीता देवी पति- स्व. मनोज कुमार साहनी उर्फ मनोज पाल (आंदोलनकारी) ग्राम -गिन्डरा पोस्ट -केसीपारा थाना - गुमला प्रखण्ड- गुमला जिला- गुमला	अधिसूचना सं.- 4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक- 06	अंचल अधिकारी, गुमला (सदर) के पत्र संख्या- 579, दिनांक- 22.06.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(ix) (आश्रित पत्नी)
12	रोजलिन तिर्की पति- स्व. अजित तिग्गा (आंदोलनकारी) ग्राम -बनारी पोस्ट -बनारी थाना - विशुनपुर प्रखण्ड- विशुनपुर जिला- गुमला	अधिसूचना सं.- 4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक- 12	अंचल अधिकारी, विशुनपुर के पत्र संख्या- 110, दिनांक- 24.12.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(ix) (आश्रित पत्नी)
13	गीता देवी पति- स्व. धनंजय शंकर (आंदोलनकारी) ग्राम -जरजरा पोस्ट -गोसाई बलिया थाना - बड़कागांव प्रखण्ड- बड़कागांव जिला- हजारीबाग	अधिसूचना सं.- 5275, दि.- 22.09.2017 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका- 2(अन्य) जिला सूची क्रमांक- 42 अधिसूचना सं.-373, दिनांक-17.01.2019 द्वारा कंडिका संशोधन	अंचल अधिकारी, बड़कागांव के पत्र संख्या- 03, दिनांक-04.01.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)

		संशोधित कंडिका 3(क)		
14	तारो देवी पति- स्व. किशुन राय (आंदोलनकारी) ग्राम -हदहदवा पोस्ट -नन्दुडीह थाना - सतगावां प्रखण्ड- सतगावां जिला- कोडरमा	अधिसूचना सं.- 4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 37	अंचल अधिकारी, सतगावां के पत्र संख्या- 346, दिनांक- 16.07.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
15	कलवा देवी पति- स्व. छोटन राय (आंदोलनकारी) ग्राम -हदहदवा पोस्ट -नन्दुडीह थाना - सतगावां प्रखण्ड- सतगावां जिला- कोडरमा	अधिसूचना सं.- 4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 38	अंचल अधिकारी, सतगावां के पत्र संख्या- 345, दिनांक- 16.07.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
16	नीरू शांति भगत पति- स्व. कमल किशोर भगत (आंदोलनकारी) ग्राम -जिंगी पोस्ट - जिंगी थाना - जिंगी प्रखण्ड- कुइ जिला- लोहरदगा	अधिसूचना सं.- 6109, दि.- 10.11.2017 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 02	अंचल अधिकारी, कुइ के पत्र संख्या-41, दिनांक- 02.03.2021 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
17	जगमनी भगत पति- स्व. शिवदयाल भगत (आंदोलनकारी) ग्राम -तान पोस्ट - जिंगी थाना - कुइ प्रखण्ड- कुइ जिला- लोहरदगा	अधिसूचना सं.- 4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक- 06	अंचल अधिकारी, कुइ के पत्र संख्या-71, दिनांक- 06.02.2020 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(ix) (आश्रित पत्नी)

18	कमला देवी पति- स्व. संतन राम (आंदोलनकारी) ग्राम -हेसागढ़ पोस्ट - हेसागढ़ थाना - माण्डू प्रखण्ड- माण्डू जिला- रामगढ़	अधिसूचना सं.- 3840, दि.- 11.07.2018 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 17	अंचल अधिकारी, माण्डू के पत्र संख्या-138, दिनांक-11.06.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)
19	ललिता देवी पति- स्व. नकुल राम (आंदोलनकारी) ग्राम -मारंगमारचा पोस्ट -चितरपुर थाना - रजरप्पा प्रखण्ड- चितरपुर जिला- रामगढ़	अधिसूचना सं.- 2129, दि.- 27.05.2022 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (viii) (a) जिला सूची क्रमांक- 02	अंचल अधिकारी, चितरपुर के पत्र संख्या- 286, दिनांक- 08.06.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर।	कंडिका 2(viii) (a) (आश्रित पत्नी)

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध झारखण्ड आन्दोलनकारी के आश्रित की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी/आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके।

6. सूची के अनुसार चिन्हित आश्रित को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 अथवा आंदोलनकारी की मृत्यु की तिथि, जो भी बाद में हो, की तिथि से देय होगा तथा विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 के तहत इससे पूर्व की अवधि के लिए यह दिनांक-01.08.2015 अथवा आंदोलनकारी की मृत्यु की तिथि, जो भी बाद में हो, की तिथि से देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

फुलेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

28 जून, 2022

संख्या-10/विविध-1216/2018-2610--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021(प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है ।

2. आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए **अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015, 5275, दिनांक-22.09.2017, 6109 दि0-10.11.2017, 3840, दि0-11.07.2018 एवं 4987, दि0-18.09.2019** द्वारा अधिसूचित किया गया ।

3. उक्त विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों का **कंडिका सुधार संबंधी** प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के **पत्रांक-3895, दिनांक-17.02.2022** द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदनों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों की कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन का उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा ।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके ।

6. संलग्न सूची के अनुसार संशोधित कंडिका वाले आंदोलनकारियों को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए यह दिनांक-01.08.2015 की तिथि से प्रभावी होगा ।

7. संलग्न सूची के क्रम-3 में अंकित आंदोलनकारी के आश्रित को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए यह दिनांक-01.08.2015 अथवा आन्दोलनकारी की मृत्यु जो बाद में हो, की तिथि से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

28 जून, 2022

अधिसूचना संख्या-10/विविध-1216/2018-2610--गृह विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

क्र०	नाम एवं पता	पूर्व का वर्गीकरण	कंडिका संशोधन करने का आधार	संकल्प सं.- 1938 दिनांक- 20.04.21 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण
1	नाम:-डेविड सिंह कालुण्डिया पिता- स्व. मागो कालुण्डिया ग्राम - उकुगुट्ट पोस्ट - तांतनगर थाना - मंझारी प्रखण्ड-तांतनगर जिला - पश्चिमी सिंहभूम	अधिसूचना सं.- 4987, दि.- 18.09.2019 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क) जिला सूची क्रमांक- 01	मंझारी थाना कांड सं.- 54/89 जीआर सं.- 790/89 से संबंधित सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-10 माह 24 दिन	कंडिका 2(viii) (c)
2	नाम-शिव शंकर कुंकल पति- रोया राम कुंकल ग्राम -गितिलपी पोस्ट - गितिलपी थाना - मंझारी प्रखण्ड- मंझारी जिला - पश्चिमी सिंहभूम	अधिसूचना सं.- 6109 दि.- 10.11.17 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक- 08	जीआर सं.-239/89 से संबंधित सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-13 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
3	नाम- नामसी	अधिसूचना सं.-	मंझारी प्राथ. सं.-37/89	कंडिका

	कालुन्डिया (आश्रित पत्नी) पति- स्व. विक्रम कालुन्डिया (आंदोलनकारी) ग्राम - रोलाडीह पोस्ट - कोकचो थाना - मंझारी प्रखण्ड- तांतनगर जिला - पश्चिमी सिंहभूम	6109 दि.- 10.11.17 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक- 09	से संबंधित सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-14 दिन	2(viii) (a)
4	नाम- सिंगराय कालुन्डिया पिता- स्व. मुरली कालुन्डिया ग्राम - रोलाडीह पोस्ट - कोकचो थाना - मंझारी प्रखण्ड- तांतनगर जिला - पश्चिमी सिंहभूम	अधिसूचना सं.- 6109 दि.- 10.11.17 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक- 10	मंझारी प्राथ. सं.-37/89 से संबंधित सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-14 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
5	नाम-गणेश रविदास पिता- स्व. भुखल रविदास ग्राम - कुदारखो पोस्ट - भरेचनगर साण्डी थाना - माण्डु प्रखण्ड- माण्डु जिला - रामगढ़	अधिसूचना सं.- 4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक- 12	माण्डू थाना प्राथ. सं.- 85/93 से संबंधित न्यायालय आदेश पत्रक एवं सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-06 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
6	नाम-महावीर रविदास पिता- मानकी रविदास ग्राम - भरेचनगर, साण्डी, बोंगावार पोस्ट - भरेचनगर	अधिसूचना सं.- 4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी,	माण्डू थाना प्राथ. सं.- 85/93 से संबंधित न्यायालय आदेश पत्रक एवं सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र	कंडिका 2(viii) (a)

	थाना - माण्डु प्रखण्ड- माण्डु जिला - रामगढ़	कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक- 15	जेल की अवधि-06 दिन	
7	नाम -प्रेमनाथ महतो पिता- जगदीश महतो ग्राम -बोंगाहारा पोस्ट - हैंसागढ़ा थाना - माण्डू प्रखण्ड- माण्डू जिला - रामगढ़	अधिसूचना सं.- 4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक- 01	झारखण्ड आंदोलन से संबंधित माण्डू थाना अप्राथ. सं.-494/98 के न्यायालय आदेश पत्रक एवं सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-14 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
8	नाम-मनोहर ठाकुर पिता- रौशन ठाकुर ग्राम - बोंगाहारा पोस्ट - हैंसागढ़ा थाना - माण्डू प्रखण्ड- माण्डू जिला - रामगढ़	अधिसूचना सं.- 4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक- 03	झारखण्ड आंदोलन से संबंधित माण्डू थाना अप्राथ. सं.-494/98 के न्यायालय आदेश पत्रक एवं सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-14 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
9	नाम-तेजु तुरी पिता- विगलाहा तुरी ग्राम - बोंगाहारा पोस्ट - हैंसागढ़ा थाना - माण्डू प्रखण्ड- माण्डू जिला - रामगढ़	अधिसूचना सं.- 4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक- 04	झारखण्ड आंदोलनकारी से संबंधित माण्डू थाना अप्राथ. सं.-494/98 के न्यायालय आदेश पत्रक एवं सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-23 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
10	नाम-हिरालाल महतो पिता- गल्लू महतो ग्राम - बोंगाहारा पोस्ट - हैंसागढ़ा थाना - माण्डू प्रखण्ड- माण्डू	अधिसूचना सं.- 4920 दि.- 10.08.15 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य)	झारखण्ड आंदोलन से संबंधित माण्डू थाना अप्राथ. सं.-494/98 से संबंधित न्यायालय आदेश पत्रक एवं सत्यापित कारा	कंडिका 2(viii) (a)

	जिला - रामगढ़	जिला सूची क्रमांक-05	संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-14 दिन	
11	नाम-भागीरथ महतो पिता- वंशी महतो ग्राम - पुण्डी पोस्ट - हैसागढ़ा थाना - माण्डू प्रखण्ड- माण्डू जिला - रामगढ़	अधिसूचना सं.-5275, दि.-22.09.2017 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-47	झारखण्ड आंदोलन से संबंधित माण्डू थाना अप्राथ. सं.-494/98 से संबंधित न्यायालय आदेश पत्रक एवं सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-23 दिन	कंडिका 2(viii) (a)
12	नाम-नवीन कुमार बाउरी पिता- स्व. मनि उर्फ मोनी बाउरी ग्राम - चन्द्रा पोस्ट - चन्द्रा थाना - चन्दनकियारी प्रखण्ड- चन्दनकियारी जिला - बोकारो	अधिसूचना सं.-3840, दि.-11.07.18 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-14	चन्दनकियारी थाना प्राथ. सं.-117/92 से संबंधित सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-02 माह दिन-04	कंडिका 2(viii) (a)
13	नाम-फुलचंद तिर्की पिता- स्व. पुरन प्रसाद तिर्की ग्राम - कुदारखो पोस्ट - खत्री खटंगा थाना - बेड़ो प्रखण्ड- बेड़ो जिला - राँची	अधिसूचना सं.-5275, दि.-22.09.2017 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) जिला सूची क्रमांक-35	बेड़ो थाना प्राथ. सं.-61/89 से संबंधित सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र जेल की अवधि-05 दिन	कंडिका 2(viii) (a)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

10 अक्टूबर, 2023

सं0सं0-14/आ0-108/2020-4623--श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0पु0से0 (2006), पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र, हजारीबाग के द्वारा बिना राज्य सरकार की अनुमति के दिनांक- 17.11.2008 से 24.11.2008 तक की गयी विदेश (मॉरीशस एवं दुबई) यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति इस परामर्श के साथ प्रदान की जाती है कि श्री सिंह, भा0पु0से0 भविष्य में ऐसे मामले में सतर्क रहें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह
सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

5 अक्टूबर, 2023

संख्या-13/आई0पी0एस0-108/2022-4551--श्री कुमार गौरव, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक, पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-18(B) के तहत दिनांक-04.10.2023 से 18.10.2023 तक कुल **15** (पन्द्रह) दिनों का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

अधिसूचना

31 जुलाई, 2023

संख्या-1/विविध-802/2020 कां०-4406--श्री ऋतुराज, भा०प्र०से० (झा:2018), उप विकास आयुक्त, कोडरमा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 18(B) के तहत दिनांक 31.07.2023 से 14.08.2023 तक कुल 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

अधिसूचना

26 जुलाई, 2023

संख्या-1/विविध-834/2006 खण्ड कां०- 4293--श्री राजीव अरुण एक्का, भा.प्र.से. (झा:1994), प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड को विभागीय अधिसूचना सं०-3711, दिनांक-28.06.2023 द्वारा प्रदत्त दिनांक-20.07.2023 से 01.08.2023 तक विदेश (कनाडा) की यात्रा की अनुमति एवं उक्त यात्रा हेतु दिनांक- 20.07.2023 से 01.08.2023 तक कुल 11 दिनों के लिये स्वीकृत उपार्जित अवकाश (**Ex India Leave**) को रद्द किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

13 सितम्बर, 2023

संख्या-13/ओ0-108/2023-4180/सी0--SLP(Civil) Dy No.-19206/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायलय में पारित न्यायदेश के अनुपालन में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार पत्रांक-**I-21023/36/2023-IPS.III**, दिनांक-16.08.2022 के आलोक में **श्री अजय कुमार सिन्हा, भा0पु0से0** एवं श्री अर्जुन पूर्ति पुलिस निरीक्षक को मणिपुर हिंसा से संबंधित काण्ड के अनुसंधान हेतु सी0बी0आई0 में प्रतिनियुक्त किया जाता है तथा **सी0बी0आई0 मुख्यालय, सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली** में योगदान करने हेतु अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से विरमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

11 अक्टूबर, 2023

संख्या-16/पु0अ0-01/2022-4638--डॉ0 दीपक कुमार सिंह चिकित्सा पदाधिकारी, झा0स0पु0-1, राँची को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-227 के तहत दिनांक-25.10.2023 से दिनांक-28.10.2023 तक कुल 04 (चार) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवधि के लिए श्री सिंह को छुट्टी वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

5 अक्टूबर, 2023

संख्या-13/आई0पी0एस0-132/2019-4550--विभागीय अधिसूचना सं0-3787, दिनांक-21.08.2023 के द्वारा श्रीमती सुमन गुप्ता, भा0पु0से0, अपर पुलिस महानिदेशक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-21.08.2023 से 19.09.2023 तक कुल 30 (तीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई थी, उक्त स्वीकृत उपार्जित अवकाश को दिनांक-06.10.2023 तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

12 सितम्बर, 2023

संख्या-13/एस0पी0सी0ए0-101/2018(खण्ड)-4158/सी0, श्री पी0आर0के0 नायडू, भा0पु0से0 (सेवानिवृत्त) को झारखण्ड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार नियमावली-2017 के नियम-5 एवं नियम-13 के तहत झारखण्ड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार, राँची का स्वतंत्र सदस्य नामित करते हुए प्राधिकार के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।
